

अण्डमान तथा
Andaman And



निकोबार राजपत्र
Nicobar Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
Published by Authority

सं. 86, पोर्ट ब्लेयर, सोमवार, 05 जून, 2017
No. 86, Port Blair, Monday, June 05, 2017

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय
अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 05 जून, 2017

सं. 84/2017/फा.सं. 3-53/2018-यू.डी.-1.-चूंकि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (नगर पालिका) विनियम, 1984 की धारा 202 के तहत जल उप-विधि के लिए आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करते हुए आम लोगों की सूचना के लिए दिनांक 19.12.2016 की प्रेस विज्ञप्ति सं. 3-53/2016-यू.डी.-1 द्वारा 'दि डेली टेलीग्राम्स' में एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी।

और, चूंकि, निर्धारित समयावधि के भीतर आम लोगों से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार करते हुए जांच की गई है।

अतः अब अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (नगरपालिका) विनियम, 1984 की धारा 202 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका जल उप-विधि 2017 की पुष्टि करते हैं, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम :

- इस उप-विधि को पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका जलापूर्ति उप-विधि 2015 कहा जा सकेगा।
- यह उप-विधि सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ- इस उप-विधि में जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- भण्डारन टंकी के संबंध में 'क्षमता' का तात्पर्य जल लाईन/स्तर तक मापी गई टंकी की क्षमता।
- 'सचिव' का तात्पर्य सचिव, नगरपालिका परिषद्, पोर्ट ब्लेयर।
- 'उप-वितरण पाईप' का तात्पर्य :
 - गली, जिसमें मुख्य लाईन बिछी हो, से जुड़ा हुआ वह भाग जहां से परिसर को जलापूर्ति की गई है और गली पर जुड़ते हुए किसी भवन की बाहरी दीवार के माध्यम से किसी अन्य प्रकार से उस परिसर में सर्विस पाईप प्रवेश करता हो और उन परिसरों में स्टॉपकोक लगाया गया हो और उस गली की सीमा के बिल्कुल नजदीक जैसा भी व्यवहारिक हो, मुख्य लाईन और स्टॉपकोक के बीच बहुत सारे सर्विस पाईप बिछी हो।
 - अन्य किसी मामलों में, मुख्य तथा गली जिसमें मुख्य पाईप बिछी हो, की सीमा के बीच बहुत सारी सर्विस पाईप बिछी है और अ.लो.नि.वि. (अण्डमान लोक निर्माण विभाग) द्वारा नगरपालिका परिषद्, पोर्ट ब्लेयर को आपूर्ति किए जा रहे जल की उपलब्धता के आधार पर आगामी 3 वर्षों में 24/7 जल वितरण नेटवर्क के सहयोग के लिए मुख्य लाइन के साथ सर्विस पाइप के जंक्शन पर जोड़ने के फेर्यूल या अन्य पद्धति शामिल है और-

- (i) किसी स्टॉपकॉक के पास उप-वितरण पाईप समाप्त होती है, वह पाईप; तथा
- (ii) उसके अन्तिम भाग और मुख्य लाईन के बीच उप-वितरण पाईप पर कोई स्टॉपकॉक लगी है ;
- i) "कनैक्शन पाईप" अर्थात् किसी सर्विस पाईप के साथ नगर आपूर्ति मुख्य लाईन से जुड़ी हुई जोड़चुड़ी से स्टॉप टैप तक की कोई भी पाईप;
 - ii) "उपभोक्ता" अर्थात् कोई भी कॉर्पोरेट निकाय, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जिसे आपूर्ति की जा रही है अथवा आपूर्ति के लिए आवेदन किया हो अथवा शहरी जल कार्यों से जल का उपयोग करने वाला या कोई भी व्यक्ति या लोग जो जल प्रभार का भुगतान कर रहे हैं;
 - iii) "उपभोक्ता के पाईप" "उपभोक्ताओं की फिटिंग्स" अर्थात् आपूर्ति के लिए और शहरी जल कार्यों से जल के उपयोग में इस्तेमाल किए जाने वाले टैप, कौक्स, वॉल्व, मीटर, सिस्टर्न्स, बाथ्स, वाटर क्लोसेट, लैवॉटरी बेसिन और कलपुर्जे जैसे सभी पाईप फिटिंग्स जो पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद् की सम्पत्ति नहीं हैं;
 - iv) "जंगरोधक एल्योय" अर्थात् पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद् द्वारा आपूर्ति की जाने वाले जल से होने वाले जंग को रोकने का एक उत्तम जंगरोधक एल्योय;
 - v) "सिलिन्डर" अर्थात् वायुमण्डलीय दाब से अधिक दाब के तहत जल रखने की क्षमता वाला एक सिलिन्डरनुमा बंद पात्र;
 - vi) "उप-वितरण पाईप" अर्थात् उपभोक्ताओं की पाईप जो मुख्य से नहीं जुड़ी है पर किसी भण्डारन टैंक/जलाशय से पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद् द्वारा जलापूर्ति को पहुंचाया जाता है और ऐसे सिस्टर्न्स से ही दाब दिया जाता है;
 - vii) "फेर्यूल" अर्थात् वितरण पाईप से किसी कनैक्शन पाईप को जोड़ने वाली फेर्यूल;
 - viii) "मकान" अर्थात् रहने का मकान चाहे वह निजी रहने का मकान हो या भवन का वह भाग जिसे अलग से रहने के लिए उपयोग किया गया है या कोई भूमि जिसमें शहरी जल कार्यों द्वारा जलापूर्ति की जाती है;
 - ix) "भारतीय मानक विनिर्दिष्टिकरण" अर्थात् भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मानक अथवा विनिर्दिष्टिकरण ;
 - x) "सर्विस पाईप" अर्थात् कोई भी पाईप बशर्ते कि मुख्य पाईप से जल दाब पर किसी परिसर को किसी मुख्य पाईप से जलापूर्ति के लिए या जैसा भी होगा लेकिन किसी टैप से बंद करने के लिए होगा ;
 - xi) "स्टैंड पोस्ट" अर्थात् एक टैप की सुविधा अथवा आपूर्ति को बंद या खोलने के लिए किसी मेकानिकल युक्ति के साथ सार्वजनिक जलापूर्ति का एक प्वाइन्ट;
 - xii) "भण्डारन टैंक" अर्थात् कोई भी टैंक, फ्लशिंग सिस्टर्न्स को छोड़कर, जिसमें वायुमण्डलीय दाब के तहत मुक्त जल सतह हो जिससे सिस्टर्न्स में लगे ड्रॉ ऑफ टैप के माध्यम से शहरी जल कार्यों द्वारा आपूर्ति की जाने वाले जल को उपयोग के लिए सुपुर्द किया जाएगा;
 - xiii) "स्टॉप टैप" अर्थात् मुख्य पाईप से किसी घर, भवन या भूमि के लिए जलापूर्ति को बंद करने या नियंत्रित करने के लिए शहरी आपूर्ति मुख्य लाईन से दूर कनैक्शन पाईप की अन्तिम छोर पर लगा हुआ स्टॉप कौक, स्टॉप वॉल्व और कोई उपकरण;
 - xiv) "टैंक" अर्थात् वायुमण्डलीय दाब से अधिक दाब के तहत जल रखने की क्षमता वाला एक गैर-सिलिन्डरनुमा बंद पात्र;
 - xv) "अस्थायी प्रयोजन" अर्थात् भवन निर्माण, गिराने या निर्माण कार्य चलने तक की अवधि के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए छः माह से कम की अवधि के लिए या सचिव द्वारा किसी विशेष मामले में स्वीकृत लम्बी अवधि के लिए उपयोग से संबंधित पाईप;
 - xvi) "वाटर लाईन" अर्थात् किसी सिस्टर्न्स से संबंधित ऊपरी जल लाईन जहाँ कार्य के लिए ओवर हेड टैंक/सिस्टर्न्स डिजाईन किया है;
 - xvii) "वार्निंग पाईप" अर्थात् एक ओवरफ्लो पाईप जिसका आऊटलेट इस तरीके से बाहर की ओर लगाया गया है जिससे किसी तरह से पानी गिरने पर देखा जा सकता है;

- xviii) "आवासीय परिसर" अर्थात् सम्पूर्ण रूप से लोगों के रहने के लिए उपयोग होता है और इसमें गैरेज, अस्तबल और अन्य आऊट-बिल्डिंग मकान जो वहां के रहने वालों के नौकर के रहने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, भी शामिल हैं ;
- xix) "वाणिज्यिक परिसर" अर्थात् कोई भी परिसर जहाँ किसी व्यापार, ट्रेड या व्यवसाय लाभ के लिए किए जाते हैं जिसमें पत्रकारिता या मुद्रण स्थापनाएं भी शामिल हैं और वह परिसर जहाँ बैंकिंग, बीमा, स्टॉक एवं शेयर, दलाली या उत्पादों का लेन-देन किया जाता है अथवा छात्रावास, रेस्त्रां, बोर्डिंग, चिकन मटन स्टॉल, बूचड़खानों, कैटरिंग हाऊस, सिनेमाघर, सिनेमा के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं या आवास के ऐसे स्थान जहाँ अतिथियों के लिए भोजन पकाया और परोसा जाता है और ऐसे परिसर भी शामिल हैं जहाँ नए निर्माण या पुराने भवन का नवीनीकरण किया जाता है और इसमें ऐसे स्थान भी शामिल हैं जिसे सचिव नगरपालिका परिषद सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इन उप-विधियों के प्रयोजन के लिए वाणिज्यिक संस्थान घोषित किए हैं।

सार्वजनिक जलापूर्ति

1. सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट का उपयोग :-

- (i) सचिव द्वारा या उनकी ओर से विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति शहरी जल कार्यों के साथ जुड़े हुए किसी भी मुख्य, पाईप, वॉल्व या फायर-प्लग या फायर हाईड्रेंट को नहीं खोलेगा या किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगा।
- (ii) कोई भी व्यक्ति स्टैंड पोस्ट से जानबूझकर या लापरवाही से स्टैंड पोस्ट से पानी को बेकार बहा नहीं सकता और प्रत्येक व्यक्ति स्टैंड पोस्ट का उपयोग करने के बाद उसका टैप बंद करेगा।
- (iii) कोई भी व्यक्ति अपने घरेलू प्रयोजन के अलावा पानी जमा करने के लिए स्टैंड पोस्ट का उपयोग नहीं करेगा।
- (iv) कोई भी व्यक्ति नहाने या कपड़े धोने या अन्य वस्तुओं को धोने या मवेशियों को नहलाने के लिए स्टैंड पोस्ट का उपयोग नहीं करेगा।
- (v) कोई भी व्यक्ति भवन के कार्यों या किसी भी निर्माण अथवा किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए स्टैंड पोस्ट, सार्वजनिक टैप या फायर हाईड्रेंट्स का उपयोग नहीं करेगा।
- (vi) नीति के अनुसार पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद मुफ्त में पानी उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट की सुविधा देती है इसके बाद अनुलग्नक-I में विनिर्दिष्ट अनुसार जो भी जन समूह, आवासीय संगठन, मार्केट संगठन आदि मीटर लगे सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट के लिए आवेदन करेगा उन्हें मीटर लगे हुए सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट की स्वीकृति दी जाएगी। उपरोक्त संगठन के प्राधिकृत व्यक्ति को 1/2 इंच के मीटर लगे हुए कनेक्शन की स्वीकृति दी जाएगी बशर्ते कि उन पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :-
 1. उन्हें पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अनुसार नियमित रूप से किराया जमा करना होगा ऐसा नहीं होने पर स्टैंड पोस्ट कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा।
 2. जल प्रभार का भुगतान करने और मीटर लगे सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट के अनुरक्षण, पानी को बेकार होने से बचाने और इस जल उप-विधि के अन्य प्रावधानों, जो अन्य उपभेकताओं पर लागू है, को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उनकी होगी।
- (vii) विद्यमान सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट से लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को भी इस उप-विधि के अधिसूचित होने के छः माह के भीतर खण्ड (vi) में बताए गए तरीके से और अनुलग्नक (I) के अनुसार आवेदन करना होगा ऐसा नहीं करने पर स्टैंड पोस्ट कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण :- इन उप-विधियों के प्रयोजन के लिए घरेलू प्रयोजन के पानी में निम्नलिखित के लिए पानी शामिल नहीं माना जाएगा।

(क) किसी भी व्यापार, विनिर्माण या व्यवसाय; या किसी भी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए।

- (ख) फव्वारे, तैराकी या किसी सजावट या ठण्डाई, वातानुकूलन और वाटर सॉफ्टिंग संयंत्र आदि सहित मेकेनिकल प्रयोजन के लिए, अथवा
- (ग) बगीचा या सिंचाई के प्रयोजन के लिए, या
- (घ) सड़कों या फुटपाथों में पानी डालने के लिए, या
- (ड.) भवन निर्माण के लिए, या
- (च) वाहन या मवेशियों की सफाई करने के लिए।

परिवर्तन या विस्तार या निजी कनेक्शन के लिए

2. **आपूर्ति के लिए आवेदन** :- उप-विधि 38 के प्रावधानों के शर्तों के अनुसार, शहरी आपूर्ति मुख्य लाईन के साथ निजी कनेक्शन के लिए कनेक्शन नहीं दिया जाएगा और किसी भी निजी परिसर या घर में उसके किसी भी विद्यमान कनेक्शन में परिवर्तन या विस्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे परिसर या घर के मालिक या उसके प्राधिकृत एजेंट आवेदन नहीं करता और उसे उपभोक्ता के रूप में पंजीकृत किया जाएगा तथा वह उसके घर या परिसर से संबंधित कनेक्शन के लिए इन उप-विधियों के अनुपालन का जिम्मेदार होगा।
3. (I) **नियमित कनेक्शन** :-
 उपभोक्ता अनुलग्नक III में बताए गए दस्तावेजों के साथ रु.50/- का भुगतान कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करेगा। नियमित कनेक्शन के लिए आवेदन करने से पूर्व उपभोक्ता को पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के जल प्रभार के सभी बकायों को भरना होगा। कनेक्शन की स्वीकृति की सूचना मिलने पर आवेदक को पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार वास्तविक लागत के अनुरूप जल मीटर प्रतिभूति (चूक होने पर जल प्रभार की वसूली के लिए प्रतिदेय प्रतिभूति), कनेक्शन प्रभार (अन्य सामग्रियों की आपूर्ति उपभोक्ता द्वारा की जाएगी) जमा करना होगा। नगरपालिका परिषद द्वारा मीटर की जांच करने के बाद उपभोक्ता द्वारा अपनी लागत पर मीटर उपलब्ध कराना, लगाना और इसका रख-रखाव करना होगा। यदि परिषद द्वारा यह मीटर उपलब्ध/बदलाव किया जाता है तो उपभोक्ता को कनेक्शन के लिए आवश्यक अन्य सामग्रियों और जल मीटर की लागत जमा करना होगा। जल कनेक्शन के अनुसार मालिक या पंजीकृत प्रतिनिधि धारी के नाम पर ही जल प्रभार जारी की जाएगी।
- (क) परिषद की संकल्प के अनुसार ही कनेक्शन का प्रभार होगा।
- (ख) उपभोक्ता द्वारा अपनी लागत पर कार्यस्थल की आवश्यक खुदाई के साथ-साथ सामग्रियां उपलब्ध कराया जाएगा।
- (ग) नगरपालिका परिषद पोर्ट ब्लेयर प्रशासन के डब्ल्यू.डब्ल्यू./आर.डब्ल्यू. रकंध की दर के अनुसार सड़क काटने के प्रभार का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा।
- (II) ऐसे आवेदनों के साथ इस उप-विधि के अनुलग्नक II बताए गए दस्तावेज भी संलग्न करना होगा।
- (III) हार्ड कॉपी या ऑन लाईन जैसा लागू हो, से पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन प्राप्त होने पर कनेक्शन स्वीकृत की जाएगी, यदि उप-विधि के अनुसार रहा तो।
- (IV) 500 वर्ग मी. से अधिक का क्षेत्र, जिसमें वर्षा जल संरक्षण सही स्थान पर है एवं संचालित है या सही स्थान पर नहीं है, के वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए कोई नया कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।
- (V) यदि उपभोगता द्वारा जल प्रभार या कोई अन्य बकाया का भुगतान नहीं किया जाता तो सचिव, नगरपालिका परिषद उपभोक्ता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति से बकाया की वसूली कर सकता है। यदि जल प्रभार/या कोई अन्य देय के सम्पूर्ण बकायों की वसूली के लिए उपभोक्ता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति पर्याप्त नहीं है तो सचिव निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत होंगे :-

(क) वसूली के लिए जल प्रभार को सम्पत्ति प्रभार के साथ मिला देगा और अंततः भुगतान नहीं किए जाने पर कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा।

(ख) इन बकायों को सम्पत्ति कर बकाया की वसूली की तरह ही वसूला जाएगा।

(VI) यदि, मीटर क्षतिग्रस्त हो जाती है या खराब हो जाती है तो सचिव नगरपालिका परिषद लिखित में उपभोक्ता को उसे 48 घण्टों के भीतर बदलने या ठीक करवाने का निदेश दे सकता है और ऐसा नहीं करने पर पानी के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि उप-विधि 5(I) के प्रावधानों के आधार पर सामान्यतः, उपभोक्ता की लागत पर बड़े आकार की मीटर खरीद कर उसे बदला जाएगा।

सम्पत्ति की बिक्री या मालिकाना हक हस्तान्तरित करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र देते समय उप-पंजीकार, दक्षिण अण्डमान एवं राजस्व विभाग को नगरपालिका परिषद से बेबाकी प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा जिसके लिए नगरपालिका परिषद द्वारा उपभोक्ता का नाम बदलने के लिए प्रति कनेक्शन रु.500/- लिया जाएगा।

6. परिवर्तन या विस्तार की स्वीकृति :-

(i) आकलन(खुदाई आदि के लिए सामग्रियों और श्रम की लागत) की प्राप्ति पर यदि आवेदक परिवर्तन या विस्तार करना चाहता है तो , आकलन (खुदाई आदि के लिए सामग्रियों और श्रम की लागत) की राशि को सचिव/प्राधिकृत कार्यालय में जमा करवाना होगा और यदि नगरपालिका परिषद/सचिव द्वारा परिवर्तन या विस्तार की स्वीकृति दी जाती है तो नगरपालिका परिषद/सचिव द्वारा उप-वितरण पाईप बिछाने और फिटिंग्स का कार्य किया जाएगा। पाईप बिछाने और उपभोक्ता के अन्य फिटिंग्स के कार्य लाइसेन्सधारी नलसाज द्वारा इन उप-विधियों और जलापूर्ति विनियमों के अनुसार किया जाएगा, यदि कनेक्शन के लिए स्वीकृति देते समय सचिव द्वारा कोई शर्तें या सीमाएं निर्धारित की जाती है तो वे शर्तें या सीमाएं आवेदक पर लागू होंगी।

(ii) लाइसेन्सधारी नलसाज कार्य पूरा करने के बाद अनुलग्नक I में दिए गए प्रपत्र "ख" में कार्य सम्पत्ति रिपोर्ट जमा करेगा।

(iii) जल कनेक्शन/परिवर्तन/विस्तार की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार होंगे :-

क.सं.	विवरण	कनेक्शन के आकार	जलापूर्ति कनेक्शन की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी
1.	नियमित घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत कनेक्शन(निर्माण प्रयोजनों के अलावा)	15 मिमी तक	उप-मण्डलीय अभियन्ता
2.	नियमित घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत कनेक्शन (निर्माण प्रयोजनों के अलावा)	20 मिमी से 40 मिमी तक	कार्यपालक अभियन्ता
3.	सभी श्रेणियों के जल कनेक्शन	40 मिमी से अधिक	अधीक्षक अभियन्ता
4.	सभी प्रकार के अस्थायी जल कनेक्शन	क) केवल 15 मिमी तक ख) 15 मिमी से अधिक	कार्यपालक अभियन्ता अधीक्षक अभियन्ता

7. मीटर की आवश्यकता - नगरपालिका परिषद द्वारा अलग से अधिसूचित अनुसूची के अनुसार जलापूर्ति के सभी विद्यमान कनेक्शनों के लिए मीटर लगाया जाएगा।

8. 500 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र की सभी स्थापनाओं में यदि वर्षा जल संरक्षण सही स्थान पर नहीं है या संचालित नहीं है और 500 वर्ग मीटर से अधिक की स्थापनाओं में यदि बेकार जल को पुनः इस्तेमाल की सुविधा नहीं है तो इन उप-विधियों को अधिसूचित करने के 6 माह के भीतर इसे लगाए जाने की आवश्यकता है।

9. **मुख्य लाईन में कनेक्शन** – उपभोक्ताओं के सभी पाईप और उपभोक्ताओं के सभी फिटिंग्स इन उप-विधियों और जलापूर्ति उप-विधियों के अनुसार इसे उपलब्ध कराई जाएगी और बिछाई जाएगी तथा जल कनेक्शन जारी करने से पूर्व यह बहुत ही सख्त और वाटर-टाईट होंगे। कार्य पूरा होने पर अनुलग्नक I में दिए गए प्रपत्र "ख" में लाइसेन्सधारी नलसाज द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कार्य समापन रिपोर्ट सचिव के पास जमा किया जाएगा और उपरोक्त प्रावधानों को पूरा किए जाने तक किसी भी घर या परिसर में जलापूर्ति नहीं की जाएगी।
10. **उपभोक्ता के पाईप और फिटिंग्स को परिवर्तित करना या हटाना** – इन उप-विधियों के अनुसार सचिव की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी उपभोक्ता के पाईप में बदलाव या विस्तार नहीं किया जाएगा।
11. **फेर्यूल से पानी के मीटर के बीच पानी के लाईन के रिसाव को रोकना :-**
इस प्रकार के बिन्दुओं में रिसाव देखने पर उपभोक्ताओं को नोटिस भेजकर यह कहा गया कि वे इस रिसाव को 2 दिनों की अवधि के अन्दर ठीक कर लें। इसका अनुपालन न करने पर रिसाव की मरम्मत उपभोक्ता की जोखिम और लागत पर की जाएगी और रु. 500/- के जुर्माना सहित इसकी लागत की सूचना पानी बिल अनुभाग को दे दिया जाएगा, जिसे आगामी पानी के बिल से वसूला जाएगा।
12. **उपभोक्ता को निम्नलिखित शर्तों के आधार पर अपना मीटर रखने की अनुमति होगी :-**
- क) मीटर इस प्रकार का होना चाहिए, जो नगरपालिका परिषद द्वारा अनुमोदित हो एवं ठीक प्रकार से काम कर रहा हो।
- ख) उपभोक्ता, नगरपालिका परिषद की स्वीकृति से संस्थापित अपना उप-मीटर रख सकता है, लेकिन नगरपालिका परिषद इसके रख-रखाव या मरम्मत आदि या उप-मीटर के रीडिंग का उत्तरदायी नहीं होगा।
- ग) पानी मीटर के खो जाने या चोरी होने के मामले में उपभोक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट/ डी.डी.आर दाखिल करेगा या वास्तविक प्रभार के अनुसार आवश्यक पानी मीटर की लागत तथा संस्थापन प्रभार के जमा करने के पश्चात् पो.ब्ले.न.प. से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नये मीटर के संस्थापन हेतु मजिस्ट्रेट/ पब्लिक नोटरी द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित बंध पत्र दाखिल करेगा।
- घ) पुनः संस्थापन/डिस्कनेक्शन प्रभार : निम्नलिखित पुनः संस्थापन/ डिस्कनेक्शन प्रभार उपभोक्ता से वसूला जाएगा :

मीटर या आकार	पुनः संस्थापन/ आपूर्ति काटने का प्रभार
15 मि.मी. या ½"आई/डी	रु. 50 /-
20 मि.मी. या 3/4"आई/डी	रु. 60 /-
25 मि.मी. या 1" आई/डी	रु. 75 /-
40 मि.मी. या 1½" आई/डी	रु. 100 /-
50 मि.मी. या 2" आई/डी	रु. 200 /-
50 से अधिक – 100 मि.मी. या 4"	रु. 300 /-
100 मि.मी. से अधिक	रु. 500 /-

13. **उपभोग किए गए पानी का प्रभार :**

उपभोक्ता द्वारा देय पानी का प्रभार प्रतिमाह इस प्रकार होगा :

- 1) आवासीय परिसरों में घरेलू उपयोग के लिए उपभोग किए गए पानी का प्रभार निम्नलिखित दरों के स्लैब में होगा :

क) प्रथम 15 किलोलीटर – रु. 3.00/- किलोलीटर की दर से

ख) 15 किलोलीटर से 30 किलोलीटर तक	-	रु. 5.00/-कि.ली. की दर से
ग) 30 किलोलीटर से 60 किलोलीटर तक	-	रु. 7.00/-कि.ली. की दर से
घ) 60 किलोलीटर से अधिक	-	रु. 9.00/-कि.ली. की दर से
ड) बिना मीटर के प्रथम (2) कनेक्शन के लिए	-	रु. 50/- प्रति कनेक्शन/माह की दर से
च) बिना मीटर के अन्य प्रत्येक कनेक्शन के लिए	-	रु. 60/- प्रति कनेक्शन/माह की दर से

उपभोक्ता को अधिसूचना (सचिव, पोर्ट ब्लेयर, नगरपालिका परिषद द्वारा अलग से सूचना जारी किया जाए) की तिथि से निर्धारित समय सीमा के भीतर पानी का मीटर संस्थापित करना होगा, ऐसा न करने पर उपभोक्ता से 13 (ई) एवं (एफ) में उल्लिखित दर का दो गुना वसूला जाएगा।

परन्तु, परिषद संकल्प द्वारा तथा प्रशासक के अनुमोदन से दिव्यांग (अशक्त व्यक्ति) आदि जैसे विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को कुछ छूट दे सकता है।

2) वाणिज्यिक परिसरों की न्यूनतम दर इस प्रकार होगी :-

क्र.सं.	विवरण	प्रतिमाह प्रभार्य न्यूनतम दर
1.	बूथ (फास्ट फुड/ढाबा आदि का व्यापार)	रु. 90/- प्रति टन
2.	होटल, सिनेमा, शॉपिंग माल, रेस्त्रां/ बार/ गेराज तथा/ शराब दुकान (वातानुकूलन सुविधाओं सहित)/ वाणिज्यिक/ क्लिनिक एवं अन्य वाणिज्यिक कोचिंग स्थापना	रु. 160/- प्रति टन
3.	सभी होटल, रेस्त्रां, लॉज तथा अतिथि गृह (बिना वातानुकूलन सुविधाओं सहित) व्यवसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जा रहे आवासीय भवन या उसका कोई भाग	रु. 145/- प्रति टन
4.	धर्मार्थ के तहत (श्रेणी - क) धार्मिक संस्थानों में उपलब्ध एक 1/2 व्यास के नल को घरेलू कनेक्शन माना जाएगा	रु. 50/- प्रति 1" नल
5.	धर्मार्थ के तहत (श्रेणी - ख) अन्य सभी कनेक्शनों को पानी मीटर द्वारा मापी गई मात्रा के अनुसार वाणिज्यिक कनेक्शन माना जाएगा	रु. 80/- प्रति टन
6.	शैक्षिक संस्थान (प्रति टन)	रु. 300/- प्रति टन
	क) सरकारी	रु. 120/- प्रति टन
	ख) निजी	रु. 400/- प्रति टन
7.	सरकारी विभाग	रु. 400/- प्रति टन
8.	जहाज को आपूर्ति	रु. 400/- प्रति टन
	टैंकर को आपूर्ति	
9.	घरेलू उपभोग- टैंकर को आपूर्ति (कार्ड)	रु. 120/- (200 लीटर/ दिन के लिए प्रति माह)
10.	आकस्मिक आपूर्ति (प्रति 200 लीटर)	रु. 45/- प्रति 200 लीटर
11.	वाणिज्यिक आपूर्ति (प्रति टन)	रु. 255/- प्रति टन
12.	धर्मार्थ आपूर्ति (प्रति टन)	रु. 80/- प्रति टन
13.	शैक्षिक उद्देश्य (प्रति टन)	रु. 160/- प्रति टन
14.	सरकारी विभाग को आपूर्ति (प्रति टन)	रु. 400/- प्रति टन
15.	जहाज को आपूर्ति (प्रति टन)	रु. 400/- प्रति टन
16.	अस्थायी कनेक्शन (1/2) प्रति कनेक्शन	रु. 255/- प्रति टन

पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद द्वारा अधिसूचना के माध्यम से समय-समय पर उपरोक्त प्रभार में बदलाव किया जा सकता है। उपबंध 1 एवं 11 के अधीन नहीं आने वाले परिसरों के लिए रु. 255/- प्रति किलो लीटर प्रभार्य होगा।

3) उगाही की जाने वाली पानी के प्रभार/ जुर्माना की वृद्धि:- उप-विधि में उल्लिखित दर सूची के अनुसार दरों में वार्षिक आधार पर पूर्व वर्ष के दरों के संबंध में अतिरिक्त रूप से 3% की वृद्धि की जाएगी तथा प्रत्येक 3 वर्षों में इसकी समीक्षा की जाएगी।

14. क) उपभोक्ता, जो नियत तिथि में पानी के प्रभार का भुगतान नहीं करता है, वे ब्याज/ जुर्माना भुगतान के लिए इस प्रकार उत्तरदायी होंगे :-

1) विलम्ब अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज और

2) 15 दिनों की विलम्ब अवधि के लिए रु. 50/- जुर्माना तथा आगे लगातार उल्लंघन करने के मामले में रु. 5/- प्रति दिन के अतिरिक्त जुर्माना के साथ।

यदि भुगतान में, मूल बिल में दर्शाई गई देय तिथि से 3 माह से अधिक विलंब होती है, तो मूल बिल को ही नोटिस माना जाएगा और आगे बिना किसी नोटिस के परिसर की जलापूर्ति काट दी जाएगी। उसके पश्चात् आपूर्ति दुबारा चालू करने के मामले में उपभोक्ता, उपरोक्त अनुसार आपूर्ति दुबारा चालू करने की शुल्क सहित ब्याज एवं जुर्माना भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

परन्तु, इस संबंध में सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी :-

1) पानी प्रभार के बकाया भुगतान की किश्तों की संख्या जितना वे ठीक समझे, की अनुमति दे सकता है।

2) देय तिथि तक पानी प्रभार भुगतान न करने पर निम्नलिखित मामलों में जुर्माने की वसूली माफ करना :

क) जहाँ बिल में रिकार्ड किया गया मीटर रीडिंग गलत पाया जाता है; अथवा

ख) जहाँ मीटर ठीक प्रकार से कार्य करता हुआ नहीं पाया जाता है।

14. (ख) आवासीय सोसाइटियों के लिए विशेष प्रावधान :

1) सोसाइटियों के लिए प्रभार: पानी का कनेक्शन केवल उन्हीं सोसाइटियों को दिया जाएगा, जो पोर्ट ब्लेयर प्रशासन/ नगरपालिका परिषद/ पोर्ट ब्लेयर नगर एवं ग्राम योजना द्वारा अनुमोदित हो। परिवार के सदस्यों की कुल संख्या के आधार पर पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार कनेक्शन प्रभार की उगाही की जाएगी।

2) आवासीय सोसाइटियों के लिए दर-सूची संरचना :

सोसाइटियों को बल्क मीटर के माध्यम से जलापूर्ति की जाएगी। जलापूर्ति केवल सोसाइटी के भूमिगत टंकी में ही की जाएगी तथा इस प्रकार के मामलों में इसे केवल एक यूनिट ही माना जाएगा। व्यक्तिगत फ्लैट/ मकान के लिए सोसाइटी उप-मीटर लगा सकता है। जब तक प्रत्येक मीटर संस्थापित नहीं की जाती, तब तक जलापूर्ति नहीं की जाएगी तथा री कनेक्शन प्रभार/ शुल्क के कम जमा पर पानी नहीं छोड़ा जाएगा। सोसाइटी को आपूर्ति की गई कुल पानी के भुगतान की जिम्मेदारी उसी की होगी। उप-विधि 13(ii) में दिए गए अनुसार दर संरचना; भवन अधिकारी द्वारा अधिभोग प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात् सोसाइटी पर लागू होगा।

उपभोक्ता द्वारा देय पानी का प्रभार जिसकी गणना प्रत्येक आवास ईकाई के लिए की जाएगी, की दर-सूची उप-विधि 13(i) के अन्तर्गत प्रस्तावित अनुसार वही होगा।

15. मीटर की स्थिति :

i) प्रत्येक मीटर यथा संभव स्टॉपकॉक के समीप लगा होना चाहिए तथा ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ, इसकी निरीक्षण आसानी से हो सके। स्थिति का चयन सचिव द्वारा किया जाएगा, जिसके पास मीटर और स्टॉपकॉक का अनन्य नियंत्रण होगा।

- ii) सचिव द्वारा संस्थापित मीटरों की सर्विस तथा मरम्मत की लागत का लेखा-जोखा संलग्न-1 में दिए गए प्रपत्र 'ग' में रखा जाएगा।
- iii) मीटर में हस्तक्षेप: सचिव के अनुमति के बिना किसी भी मीटर को सर्विस पाईप से अलग नहीं किया जाएगा या उसमें अन्य प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
16. घरेलू उद्देश्यों के लिए पर्याप्त जलापूर्ति बनाए रखने के लिए यदि ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, गैर घरेलू- उपयोग के लिए पीक लोड समय या किसी भी अन्य समय के दौरान, सचिव, नगरपालिका परिषद जलापूर्ति रोक सकता है या सीमित कर सकता है।
17. मीटर का ठीक होना- प्राधिकृत अभिकरण के माध्यम से मीटर के सही होने की जाँच करने की पूरी शक्ति पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के पास है या यदि पो.ब्ले.न. प. द्वारा जाँच की जाती है तो निम्नलिखित शुल्क लागू होंगे :-

18.

क्र.सं.	मीटर का आकार	परीक्षण शुल्क की राशि
i)	½" या 15 मि.मी.	रु. 200.00
ii)	¾" से 1" या 20 मि.मी. से 25 मि.मी.	रु. 250.00
iii)	1½" या 40 मि.मी.	रु. 300.00
iv)	2" से 3" या 50 मि.मी. से 80 मि.मी.	रु. 350.00
v)	4" या 100 मि.मी.	रु. 400.00
vi)	6" से 8" या 150 मि.मी. से 200 मि.मी.	रु. 450.00
vii)	10" से 12" या 250 मि.मी. से 300 मि.मी.	रु. 3000.00

लेकिन मीटर से छेड़-छाड़ किए जाने के मामले में निम्नलिखित जुर्माना लगाई जाएगी :-

½" व्यास	-	रु. 500/-
¾" व्यास	-	रु. 750/-
1" व्यास	-	रु. 2000/-
1" व्यास से अधिक	-	रु. 3000/-

उक्त जुर्मानों की वसूली के लिए नगरपालिका परिषद का सहायक अभियंता (जल कार्य) या कार्यपालक अभियंता (जल कार्य) सक्षम प्राधिकारी होंगे तथा इसकी समीक्षा अधीक्षण अभियंता, नगरपालिका परिषद द्वारा की जाएगी। अपील का मामला, सचिव नगरपालिका परिषद, पोर्ट ब्लेयर के पास होगा।

19. मीटर को बदलना :

- i) सचिव मीटर को सर्विस पाईप से हटा सकता है और उसके स्थान पर नये मीटर या संतोषजनक मरम्मत तथा जाँच किए गए मीटर को स्थापित करेगा।
- क) जब मीटर रीडिंग पुस्तिका यह दर्शाता है कि खपत कम हो गया और इसके कारण का पता नहीं लगाया जा सकता है।
- ख) जहाँ मीटर क्षतिग्रस्त हो गया है या रिकार्ड नहीं हो रहा है या अन्य प्रकार से खराब हो गया है।
- ग) 12 माह की लगातार सेवा के पश्चात्।
- ii) उपबंध (i) के तहत हटाए गए मीटर का परीक्षण होगा तथा जहाँ आवश्यक हो उसकी मरम्मत की जाएगी, साफ की जाएगी तथा ऑयलिंग की जाएगी।
- iii) उसके बाद मीटर की जाँच होगी और वह तब तक सर्विस के लिए पास नहीं होगी, जब तक उसकी रीडिंग 5% तक सही न हो।

20. खपत की प्रमाणिकता : मीटर रजिस्टर में प्रविष्टियाँ खपत जल की मात्रा का प्रथम दृष्ट्या प्रमाण होगा।

21. पानी के मीटर का सही प्रकार से कार्य करना, पूरी तरह से उपभोक्ता पर निर्भर होगा, जिसे पानी के बिल पर टिप्पणी के माध्यम से खराबी की सूचना दी जाएगी। इस प्रकार के उपभोक्ता को अंतिम बिल, जिसमें यह टिप्पणी हो कि मीटर खराब है, के जारी होने की तिथि से 4 माह की अधिकतम अवधि के भीतर अपना मीटर बदलना होगा। मीटर के खराब बने रहने की अवधि का प्रभार पिछले एक वर्ष के दौरान औसत- खपत के आधार पर निर्धारित की जाएगी। चार माह के भीतर यदि पानी के मीटर को बदला नहीं जाता, तो बिना किसी और सूचना के जलापूर्ति बंद कर दी जाएगी।

22. **मॉगबिल:** मीटर भाड़ा तथा खपत किए गए पानी का मॉग बिल सचिव द्वारा दिया जाएगा और इस बिल के देने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर भुगतान करना होगा।

स्पष्टीकरण: इस उपविधि के उद्देश्य के लिए, बिल विधिवत् दे दिया गया माना जाएगा, यदि यह उपभोक्ता को पंजीकृत पते पर या ई-मेल/ एस.एम.एस. से भेजा गया है।

23. कनेक्शन :

i) सभी निजी कनेक्शन कम से कम फेर्यूल या कनेक्शन के किसी भी अन्य तरीके, स्टॉपकॉक, मीटर सर्विसपाईप तथा टैप के साथ फिट होना चाहिए। यदि किसी मकान या परिसर में बिना उपरोक्त फिटिंग्स के कनेक्शन पाया जाता है, तो उप-विधि 31 में दिए गए अनुसार कनेक्शन काटा जा सकता है।

ii) कनेक्शन के सभी पाईप, फेर्यूल, स्टॉपकॉक, मीटर तथा अन्य फिटिंग्स सचिव के नियंत्रणाधीन होगा। इस संबंध में सचिव द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी द्वारा किसी भी समय उक्त पाईपों, टैपों आदि के मरम्मत तथा परिवर्तन या मीटर रीडिंग के लिए वहाँ जाकर कार्य निपटाएगा।

iii) पाईप लाईन के या किसी भी पानी के कनेक्शन के किसी भी भाग या इसकी ओर जाने वाली मुख्य लाईन के साथ किसी भी प्रकार से कोई छेड़-छाड़ नहीं करेगा, चाहे वह मरम्मत, परिवर्तन या किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए क्यों न हो, केवल सचिव के लिखित अनुमति से ही ऐसा किया जा सकेगा।

iv) पंजीकृत उपभोक्ता, उसके मकान या परिसर में कनेक्शन देने के लिए सचिव द्वारा संस्थापित मीटर इसके सतह बॉक्स या कोई भी अन्य सामग्री की क्षति और/या खो जाने की लागत के भुगतान का उत्तरदायी होगा, परन्तु सचिव की राय में यदि मीटर की क्षति जानबूझकर की गई है, तो उप-विधि 31 में दिए गए प्रावधान के अनुसार कनेक्शन बन्द कर दिया जाएगा।

24. उपभोक्ता के पाईप और फिटिंग का अनुरक्षण :-

i) प्रत्येक उपभोक्ता के मकान के भीतर या परिसरों में लगे स्टॉप टैप, पाईप तथा अन्य फिटिंग्स को वाटर-टाइट स्थिति में तथा पूर्ण रूप से चालू स्थिति में बनाए रखना होगा।

ii) 8.00 बजे पूर्वाह्न और 5.00 बजे अपराह्न के बीच दिन के दौरान किसी भी समय उपभोक्ता के मकान या परिसरों के भीतर जलापूर्ति संस्थापनों के निरीक्षण के लिए सचिव किसी भी अधिकारी को भेजने का हकदार है। रात के समय के दौरान, आपूर्ति समय के दौरान केवल कनिष्ठ अभियंता या उससे ऊपर के पद का अधिकारी निरीक्षण के लिए प्राधिकृत होगा।

यदि संस्थापन या उसका कोई भाग खराब पाया जाता है, तो सचिव उपभोक्ता को खराबी ठीक करने के लिए 24 घंटे का नोटिस दे सकता है। पानी के ज्यादा मात्रा में बेकार बह जाने या निवासियों या भवन की सुरक्षा को खतरा पहुँचाने जैसे गंभीर खराबी के मामलों में, उप-विधि 31 में दिए गए प्रावधान के अनुसार कनेक्शन काटा जा सकता है।

25. **उपभोक्ता के फिटिंग्स, परीक्षण एवं प्रमाणित करना :** उपभोक्ताओं के किसी भी प्रकार के फिटिंग्स, सचिव द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित इस प्रकार के आगे और मानकों प्रावधान और विनिर्दिष्टकरण की पुष्टि करने वाला होगा तथा चाहे उक्त प्रकार से विनिर्दिष्ट हो या नहीं, लगाने से पूर्व सचिव के अनुमोदन के लिए जमा करना होगा। इस प्रकार के सभी फिटिंग्स का रख-रखाव, मरम्मत तथा नवीकरण सचिव के संतुष्टि से उपभोक्ता के खर्च पर होगा। नगरपालिका परिषद के जलापूर्ति सहित कनेक्शन में उपयोग होने वाले सभी उपभोक्ताओं के उपकरणों की फिटिंग्स का सचिव द्वारा परीक्षण एवं प्रमाणित किया जाएगा या/ इस उप-विधि के साथ अनुरूपता की गारंटी के रूप में सचिव द्वारा अनुमोदित परीक्षण मार्क या स्टॉप दर्शाना होगा।

26. उपभोक्ता के पाईप और फिटिंग्स :

सभी उपभोक्ता के पाईप और फिटिंग्स उपभोक्ता की लागत पर उपलब्ध होगा और लगाना होगा तथा कोई भी उपभोक्ता जलापूर्ति का हकदार नहीं होगा, जब तक कि इस प्रकार के पाईप और फिटिंग्स तथा उसे बिछाना और लगाना इन उप-विधि के अनुपालन के अनुसार सचिव द्वारा अनुमोदित न हो तथा जब तक कि निगरानी व्यवस्था उचित प्रकार से न किया गया हो।

27. वाटर क्लोसेट के निर्माण का अनुमोदन किया जाना :

किसी भी वाटर क्लोसेट या यूरिनल को जलापूर्ति के लिए किसी भी प्रकार के कनेक्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि सचिव द्वारा इसके निर्माण की अनुमति नहीं दे दी जाती तथा भवन उप-विधि में विनिर्दिष्ट अनुसार पर्याप्त भण्डारन उपलब्ध नहीं करा दी जाती।

28. प्रत्येक परिसर के लिए अलग उप-वितरण पाईप :

सचिव द्वारा जलापूर्ति किए गए प्रत्येक मकान या परिसरों के पास अपना अलग उप-वितरण पाईप होना चाहिए। किसी भी उप-वितरण पाईप का एक से अधिक मकान या परिसर में जलापूर्ति के लिए उपयोग नहीं होगा।

29. उपभोक्ता के दायित्व :**i) कोई भी उपभोक्ता :**

क) किसी कनेक्शन का इस प्रकार से प्रयोग नहीं करेगा या उसे इस प्रकार से प्रयोग की अनुमति नहीं होगी जिससे पानी की फिजूल खर्ची हो या अप्राधिकृत प्रयोग हो।

ख) सचिव की लिखित अनुमति के बिना किसी भी अहाते, रास्ते या किसी मकान या परिसर के बाहर सार्वजनिक उपयोग के लिए नल लगाता है या किसी ऐसे स्थान के आस-पास नल लगाता है जहां हानिकारक घूँओं उत्पन्न होने की संभावना हो या किसी टंकी या जलाशय आस-पास नल लगाता हो जहां उस टंकी या जलाशय के अन्दर के पदार्थ के किसी भाग का उपभोक्ता के पाईपलाईन में वापस आने की संभावना रहती हो।

ग) किसी भी मीटर की सूचिका में बदलाव करना या आपूर्ति की गई पानी की मात्रा को अंकित करने से रोकना।

घ) पानी की मात्रा को अंकित करने के लिए लगाए गए मीटर को पानी की मात्रा अंकित करने से पहले पानी को रोकना या पानी का उपयोग करना।

ii) सर्विस लाईन फट जाने के पश्चात् उपभोक्ता को उसके मकान या परिसर में लगाए गए मीटर में अंकित पानी की मात्रा का प्रभार का भुगतान करना होगा, जब सचिव इस बात से संतुष्ट हो कि पर्याप्त सावधानी बरती नहीं गई है।

30. **उपभोक्ता के पाईप का प्रतिबंधित कनेक्शन :** सचिव द्वारा निदेशित अनुसार इस प्रकार के आकार और वर्णन के सिस्टर्न के माध्यम के अलावा सर्विस पाईप को किसी भी पानी के क्लोसेट, यूरिनल, स्टीम बॉयलर या गर्म करने के लिए किसी गर्म पानी प्रणाली या कोई बंद बर्तन से जोड़ा नहीं जाएगा।

31. **कनेक्शन का काटा जाना :** प्रत्येक कनेक्शन को निम्नलिखित कारणों से उपभोक्ता के निवेदन पर या सचिव के आदेश पर काटा जा सकता है -

क) जल संबंधित कार्यों के लिए।

ख) जलापूर्ति के किसी प्रणाली के किसी भी भाग के मरम्मत कार्य के लिए।

ग) उपभोक्ता को बिल दिए जाने के एक माह की अवधि तक जल प्रभार और मीटर का बिल का भुगतान न किया गया हो।

घ) यदि सचिव की राय में जल के प्रयोग से मकान या परिसर में गंदगी होती हो।

ङ) यदि सचिव की राय में बेकार पानी के निपटारन के लिए पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था न की गई हो।

च) यदि सचिव की राय में मकान या परिसर के निवासियों के लिए खतरे की आशंका हो या उस मकान या परिसर के ढाचे या किसी भाग में अस्थिरता के मामले में ।

छ) उप-नियम का गलत प्रयोग या उल्लंघन किया गया हो या

ज) सचिव द्वारा निदेशित अनुसार उप-नियम में उल्लिखित व्यवसायिक स्थापना द्वारा वर्षा जल के दोहन या व्यर्थ/अतिरिक्त जल के पुनः प्रयोग की सुविधा का संस्थापन न किए जाने के मामलों में ।

झ) ऐसे मामलों में जहाँ मालिक या अधिभोक्ता में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा लागू शर्तों का उल्लंघन करते हुए परिसर का प्रयोग करने पर, तब तक पानी का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा जब तक मालिक या अधिभोक्ता को उसका पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता ।

स्पष्टीकरण : कनेक्शन काटने से आशय केवल नल को बंद करने तथा मीटर हटाने से है

1. यदि उपभोक्ता द्वारा पिछले 6 माह से नगरपालिका को बकाया का भुगतान नहीं किया गया हो ।

32. **लाइसेंसधारी नलसाजों की सूची** : सचिव/नगरपालिका परिषद अधिसूचना के माध्यम से योग्यता और प्रक्रिया के अनुसार नलसाजों को लाइसेंस जारी करेगी तथा लाइसेंसधारी नलसाजों की सूची तैयार करेगी जो किसी भी व्यक्ति को देखने के लिए उपलब्ध होगा ।

33. **लाइसेंसधारी नलसाजों द्वारा कार्य किया जाना** : इन उप-नियम के अधीन उपभोक्ता द्वारा जल आपूर्ति या जल के प्रयोग से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य को उप-नियम 34 में दिये गए सूची के नामों में से किसी नलसाजों या उनके कामगारों द्वारा किया जाना चाहिए ।

34. **नलसाज का नाम बताया जाना** : प्रत्येक व्यक्ति जल आपूर्ति संबंधित कार्य किसी नलसाज से करवाता है तो उसे उस नलसाज का नाम सचिव को सूचित करना होगा ।

35. **उप-नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना** : कोई भी व्यक्ति इन उपनियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर ₹ 50/- का जुर्माना लगाया जाएगा तथा उसके बाद यदि फिर से उल्लंघन किया जाता है उस दिन तक प्रत्येक दिन के लिए रु. 5/- की दर से जुर्माना लगाया जाएगा ।

बशर्त कि उपर्युक्त अनुसार जुर्माना लगाए जाने पर भी व्यक्ति उप-नियम के उल्लंघन के कारण परिषद को हुए हानि (यदि हुई हो तो) के लिए विलंब अवधि तथा क्षतिपूर्ति के लिए प्रति वर्ष 12% की दर से ब्याज की अदायगी करने से मुक्त नहीं होगा ।

36 (i) नगरपालिका परिषद, पोर्ट ब्लेयर अपने नगरपालिका क्षेत्र में उन सभी परिसर मालिकों से निम्नलिखित राशि वसूल करेगी जिन्होंने अपने परिसर में सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति लेकर ट्यूबवेल/बोरवेल लगाया है :

बोर का आकार	राशि
50 एम एम (2")	रु. 9000/- प्रति माह
65 एम एम (2½")	रु. 15000/- प्रति माह
80 एम एम (3")	रु. 22000/- प्रति माह
100 एम एम (4")	रु. 26000/- प्रति माह
120 एम एम (5")	रु. 40000/- प्रति माह
150 एम एम (6")	रु. 45000/- प्रति माह
150 एम एम से अधिक (6" से अधिक)	रु. 50000/- प्रति माह

(ii) पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के सक्षम प्राधिकारियों से अनुमोदन लिए बगैर लगाए गए ट्यूबवेल के लिए उपभोक्ता से ट्यूबवेल लगाए जाने की तिथि से अनुमोदन मिलने की अवधि तक उपर्युक्त दर का दोगुना प्रभार लिया जाएगा ।

(iii) बोर के 'आकार' शब्द को ट्यूबवेल के निचली एसेम्बली का आकार पढ़ा जाए । नगरपालिका परिषद द्वारा संस्थापित ट्यूबवेल पर किसी प्रकार का प्रभार नहीं लिया जाएगा । हालांकि निजी व्यक्तियों, व्यक्तिगत या अन्य विभागों द्वारा पीने, सिंचाई या व्यवसायिक प्रयोजन के लिए संस्थापित ट्यूबवेल पर उपर्युक्त निर्दिष्ट दर लागू होगी ।

37. पानी के शुल्क को व्यावसायिक दर से घरेलू दर में बदलना :

पानी के शुल्क को व्यावसायिक के घरेलू दर में बदलने के लिए उपभोक्ता को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि पूर्व में व्यावसायिक गतिविधि कहाँ की जा रही थी और तत्पश्चात् रोक दी गई। एस.डी.ओ. की सिफारिश के आधार पर कार्यपालक अभियंता द्वारा शुल्क में बदलाव किया जाएगा।

38. पंपों तथा मोटरों का अवैध प्रयोग :

उपभोक्ता द्वारा लाइन में जल आवर्धन प्रणाली स्थापित नहीं की जाएगी। यदि परिसर में मुख्य जलापूर्ति प्रणाली में यह प्रणाली पाई जाती है तो उपभोक्ता पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी :

ए) प्रथम उल्लंघन के लिए पंप/मोटर की जब्ती के लिए रु. 500.00

बी) दूसरे उल्लंघन के लिए पंप/मोटर की जब्ती के लिए रु.1000.00

सी) घरेलू/व्यावसायिक पानी कनेक्शन को काट दिया जाएगा

डी) जुर्माना की अदायगी करने पर जब्त की गई पंप उपभोक्ता को वापस कर दी जाएगी।

39. पहले से ही काटे गए पानी कनेक्शन की अवैध बहाली :

उचित प्राधिकार के बिना काटे गए पानी कनेक्शन की बहाली के मामलों में जल प्रभार की उगाही को सरल और कारगर बनाने के लिए उपभोक्ता से उपभोग की गई जल के लिए दंडात्मक दर पर जल प्रभार ली जाएगी जो पूर्व निर्धारित राशि के साथ-साथ शुल्क संरचना के लागू दर का दोगुना होगी। फेर्यूल से जल आपूर्ति काटने के लिए ₹ 500/- का अतिरिक्त प्रभार लिया जाएगा।

40. विवाद निपटारन तथा निवारण समितियाँ :

i) इस उप-नियम के तहत किसी उपभोक्ता द्वारा पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद से लिए गए पानी के कनेक्शन के संबंध में इन उप-नियम के अनुरूप या उल्लंघन से लगाया गया जल प्रभार, हर्जाना इत्यादि से संबंधित किसी प्रश्न, विवाद या असहमति होने पर विवाद को सुलझाने के लिए इसे निम्नलिखित विवाद निपटारन समितियों को भेजा जाएगा :

ii) विभिन्न समीक्षा तथा अपीली प्राधिकरण इस प्रकार होगी :

क्र.सं.	विवाद सुलझाने के लिए संक्षमता	समीक्षा प्राधिकारी	अपीली प्राधिकारी
1	रु. 100000/- तक	कार्यपालक अभियंता के स्तर पर निपटारन सुधार समिति	अधीक्षक अभियंता के स्तर पर निपटारन समिति
2	रु. 100000/- से अधिक	अधीक्षक अभियंता के स्तर पर निपटारन समिति	सचिव स्तर पर निपटारन समिति

जल प्रभार बिलों के विवाद के लिए निम्नलिखित समितियाँ समीक्षा/अपीली प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगी:
क) कार्यपालक अभियंता के स्तर पर निवारण समिति

(i)	कार्यपालक अभियंता, पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद	अध्यक्ष
(ii)	अध्यक्ष, जल उप-समिति	सदस्य
(iii)	लेखा अधिकारी (वित्त)	सदस्य
(iv)	सहायक अभियंता, पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद (संबंधित)	सदस्य
(v)	कनिष्ठ अभियंता (संबंधित)	सदस्य

₹ 100000/- तक की राशि वाले विवादों के लिए यह समिति, समीक्षा प्राधिकरण होगा ।

ख) अधीक्षण अभियंता स्तर का विवाद निवारण समिति—

1. अधीक्षण अभियंता, पो.ब्ले.न.प.	—	अध्यक्ष
2. कार्यपालक अभियंता, पो.ब्ले.न.प.	—	सदस्य
3. अध्यक्ष, जल उप-समिति	—	सदस्य
4. मुख्य लेखा अधिकारी	—	सदस्य
5. सहायक अभियंता, पो.ब्ले.न.प. (संबंधित)	—	नोडल अधिकारी

₹ 1,00,000/- से अधिक के राशि वाले विवादों के लिए यह समिति प्राधिकरण होगा एवं ₹ 1,00,000/- तक की राशि वाले विवादों के लिए अपीली प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा।

ग) सचिव स्तर का विवाद निवारण समिति

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| 1. सचिव, पो.ब्ले.न.प. | — | अध्यक्ष |
| 2. अधीक्षण अभियंता, पो.ब्ले.न.प. | — | सदस्य |
| 3. अध्यक्ष, उप जल समिति | — | सदस्य |
| 4. मुख्य लेखा अधिकारी | — | सदस्य |
| 5. कार्यपालक अभियंता, पो.ब्ले.न.प. | — | नोडल अधिकारी |

यह समिति रु. 100,000/- से अधिक के राशि वाले विवादों के लिए अपीली प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा।

iii) आवेदन करने की प्रक्रिया: उपभोक्ता यदि बिल की राशि से संतुष्ट नहीं होता है, तो उसे ड्राफ्ट रसीद के रूप में बिल राशि के 50% के साथ संबंधित समिति के नोडल अधिकारी के पास लिखित अनुरोध करना होगा। नोडल अधिकारी माह में एक बार विवाद निवारण समिति की बैठक की व्यवस्थित करेगा और निर्णय के लिए उस प्रकार के सभी अनुरोध को समिति के समक्ष रखेगा।

उपभोक्ता यदि, संबंधित विवाद निवारण समिति (समीक्षा प्राधिकरण) के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह समीक्षा प्राधिकरण के निर्णय से 15 दिनों के भीतर अपीली प्राधिकरण को लिखित में अपील कर सकता है।

इन सभी विवाद निवारण समितियों में उपभोक्ता और/ या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को संबंधित विवाद निवारण समिति के समक्ष अपना मामला रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। साधारणतः यह समितियाँ सर्वसम्मति से निर्णय लेने का प्रयत्न करती हैं। समिति के अध्यक्ष/ सदस्यों के बीच मतों में अंतर पाए जाने पर मामले का निर्णय उपस्थित बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। विवाद निवारण समिति मौखिक ओदश/ निर्णय जारी करेगा तथा स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करेगा कि इस मामले में नियमों में किसी भी प्रकार का छूट दिया गया है यदि आवश्यक हो तो समिति के सदस्य तथ्यात्मक स्थिति जानने के लिए परिसरों के निरीक्षण/ दौरा भी कर सकते हैं। प्रत्येक विवाद निवारण समिति, किसी भी विवादित मामलों के लिए अधिकतम 2 बैठक के आयोजन द्वारा मामलों का निर्णय करेगा और यदि उपभोक्ता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित होने में असफल रहते हैं, तो समीक्षा/ अपीली प्राधिकरण का निर्णय अंतिम माना जाएगा। प्रत्येक समिति द्वारा मामले के निर्णय हेतु एक माह की अवधि में कम-से-कम एक बैठक बुलाएगा।

अपीली प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा आगे कोई और अपील स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह समिति अवसूलीय राशि को छोड़ने सहित सभी मामलों की समीक्षा तथा निर्णय करेगा। आगे ये समितियाँ निम्नलिखित कारणों से पानी के बिल के अत्यधिक प्रभार से संबंधित मामलों सहित, उपभोक्ताओं जिन्हें पानी के मीटर का कनेक्शन स्वीकृत किया गया है, के सभी विवादित मामलों पर विचार/समीक्षा करेगी।

क) निर्माण के पश्चात् परिसर में ताला लगा रहता है, लेकिन पानी के बिल में प्रति माह वृद्धि होती है।

ख) शुरू में परिसर में रहता है, उसके पश्चात् काफी अधिक अवधि के लिए ताला लगा रहता है।

ग) पानी के मीटर की गलत रीडिंग रिकार्ड होने सहित पानी के मीटर में किसी भी तकनीकी खराबी के कारण अधिक औसत उपभोग होने पर पानी का अत्याधिक बिल।

घ) उपभोक्ता के परिसरों के भीतर-रिसाव के कारण अत्याधिक पानी प्रभार बिल।

ड.) पानी के कनेक्शन की स्वीकृति प्राप्त हो गई, लेकिन वास्तव में साईट में नहीं लगाया गया तथा निर्माण आरंभ नहीं हुआ या भवन का केवल एक भाग का निर्माण हुआ, लेकिन अभी भी पूरा होना बाकी है।

च) विवादित बिलों के निपटाने के लिए, जहाँ नगरपालिका परिषद द्वारा जलापूर्ति बंद कर दिया गया है, लेकिन उसे नगरपालिका परिषद की अनुमति के बिना/ नगरपालिका परिषद को सूचित किए बिना उपभोक्ता द्वारा दोबारा जोड़ दिया गया है।

ज) भवन में पूरी तरह से रहना शुरू नहीं किया है, केवल चौकीदार/ पहरेदार, पहरा और निगरानी के लिए रह रहा है।

विचार/ समीक्षा हेतु रखे हुए सभी लम्बित मामलों को इस अधिसूचना के जारी होने से एक माह के भीतर उक्त क्षेत्र के एस डी ओ द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर संबंधित समितियों को भेजा जाएगा। लेकिन इन समितियों के गठन से पूर्व जिन मामलों पर निर्णय ले लिया गया है, उन्हें दोबारा खोला नहीं जाएगा।

41. पानी के ओवर फ्लो/ बेकार बह जाने पर नियंत्रण रखने के लिए प्रत्येक कनेक्शन के डिस्चार्ज माऊथ के अंतिम बिन्दू पर फ्लोट वाल्व होना चाहिए। यह अनिवार्य है, अन्यथा कनेक्शन काट दिया जाएगा, पो.ब्ले.न. प. भवन के जमीन-स्तर से 1.0 मी. की ऊँचाई तक उचित दबाव पर पानी उपलब्ध कराने के अपने उत्तरदायित्व को सीमित कर देगा। उपभोक्ता के लिए यह आवश्यक है कि वे वितरण पाईप के द्वारा पानी एकत्र करने के लिए ऊपर उल्लिखित ऊँचाई सीमा के अन्दर भण्डारण टंकी/ सम्प टंकी का निर्माण करें।
42. कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी शौचालय या भुमिगत मल कुंड (सेस पुल) का निर्माण नहीं करेगा, जो किसी भी कुएँ, टंकी, पानी के पाईप या किसी भी स्थिति में जहाँ इस प्रकार के कुएँ, टंकी या पाईप के क्षति होने या उसके पानी के प्रदूषण होने की संभावना है।
43. सचिव, पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के पास स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जल उप-विधि को कार्यान्वित तथा लागू करने का पूर्ण अधिकार है।

मूल्य रु.10/-

मामला सं.....

(अनुलग्नक -I)

फार्म सं.

नगरपालिका परिषद का कार्यालय
पोर्ट ब्लेयर

½"/¾"/1"और उससे अधिक व्यास वाले टैप कनेक्शन की स्वीकृति के लिए आवेदन फार्म

..... को जारी किया गया
सुपुत्र/पत्नी/बेटी.....
निवासी..... वार्ड सं.

दिनांक..... के रसीद सं. द्वारा जारी

सिंगल विंडो काउन्टर
नगरपालिका परिषद
कार्यपालक अभियंता (जल कार्य)
नगरपालिका परिषद

ई-मेल आई.डी.-

दूरभाष सं. -

1. आवेदक का नाम :
- (साफ अक्षरों में)
- क) सार्वजनिक टैप देने के लिए संघ/
प्राधिकृत व्यक्ति का नाम :
2. पिता/ पति का नाम :
3. रिहायसी पता :
4. कार्यालय पता :
5. मकान/अहाते का पता बताएँ जहाँ टैप :
- कनेक्शन दिया जाना है, बशर्ते कि वह
आवेदक के नाम दर्ज हो, यदि हाँ तो
कृपया अद्यतन राजस्व रिकार्ड संलग्न करें।
6. क्या किराएदार को टैप कनेक्शन की :
- आवश्यकता है। यदि हाँ, तो कृपया
मकान मालिक/ भू-मालिक के अद्यतन
राजस्व रिकार्ड और अनापत्ति प्रमाण पत्र
प्रस्तुत करें।

7. मकान/ अहाते का पता, जहाँ टैप कनेक्शन दिया जाना है :
 क) वार्ड सं. :
 ख) मकान संख्या :
 ग) राजस्व सर्कल सर्वेक्षण सं. :
8. क) आवेदक के नाम पर पहले से विद्यमान कनेक्शन की सं. :
 ख) अब अपेक्षित टैप कनेक्शन (ों) की सं. :
 ग) अहाते में रहने वाले लोगों की सं. :
9. आवेदक का मासिक आय :
10. टैप कनेक्शन का उद्देश्य :
 क) घरेलू :
 ख) वाणिज्यिक :
 ग) सार्वजनिक टैप :
11. आवेदक किस तिथि से पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका क्षेत्र में रह रहा है (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें) :
12. मकान/ भवन जहाँ टैप कनेक्शन की आवश्यकता है, वहाँ परिषद के अनुमोदित प्लान के अनुरूप निर्माण किया गया है, यदि हाँ तो अनुमोदन सं. एवं तिथि बताएँ :
13. प्रतिदिन अनुमानित जल खपत :
14. 500 वर्ग मीटर से अधिक के लिए रीसाइकल की गई जल की खपत :
15. 250 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्र के लिए वर्षा जल संरक्षण प्रणाली स्थापित है अथवा नहीं :

आवेदक का घोषणापत्र

मैं..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री निवासी.....
 एतद्वारा पुष्टि एवं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है। मैं एतद्वारा वचन देता/देती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई यदि कोई सूचना/विवरण बाद में गलत अथवा छलयोजित पाया जाता है तो नगरपालिका परिषद को बिना किसी सूचना के मेरे नाम पर दी गई टैप कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने का अधिकार है। मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि समय-समय पर संशोधित नियम और विनियम के अनुसार नगरपालिका परिषद को देय सभी कर/ प्रभार का भुगतान करूँगा/करूँगी।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि नलसाजी कार्य के लिए श्री..... लाइसेंस धारी नलसाज को मैंने ही कार्य सौंपा है।

पोर्ट ब्लेयर

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम :

मैं श्री पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद का लाइसेंस धारी नलसाज एतद्वारा आवेदक के उपर्युक्त अहाते में नलसाजी कार्य को करने के लिए सहमत हूँ।

लाइसेंस सं. सहित नलसाज का हस्ताक्षर

अनापत्ति प्रमाणपत्र

(किराएदार को टैप कनेक्शन की आवश्यकता होने के मामले में इसे भरा जाए)

मैं सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री
 निवासी (वार्ड सं. मकान सं.....) एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि श्री सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री जो मेरे मकान/अहाते सर्वेक्षण सं. में रहता है, को पीने की पानी के लिए टैप कनेक्शन स्वीकृत करने/ देने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किराएदार द्वारा मकान खाली करने के मामले में मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं इसकी सूचना नगरपालिका परिषद, पोर्ट ब्लेयर को पहले ही दे दूँगा और मैं यह भी वचन देता हूँ कि श्री टैप कनेक्शन के कर/प्रभार का भुगतान न करने के मामले में मैं उसका भुगतान करूँगा/करूँगी।

पोर्ट ब्लेयर

दिनांक :

मकान मालिक/भू-मालिक का नाम/ हस्ताक्षर

वार्ड पार्षद का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/श्री सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री..... निवासी को मैं जानता/जानती हूँ और आवेदक/ भू-मालिक द्वारा दिए गए सूचना का विवरण मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

½" व्यास घरेलू/वाणिज्यिक टैप कनेक्शन के लिए उनके/ उनकी आवेदन पर विचार किया जा सकता है।

पार्षद का नाम एवं हस्ताक्षर
वार्ड सं.
मुहर

अदेयता प्रमाणपत्र

(परिषद के कर अनुभाग के प्रयोग के लिए)

बकाया कर का ब्यौरा

कर का विवरण	अवधि (से.....तक)	आवेदक का देय (मकान मालिक/ भू-मालिक)	आवेदक का देय (किराएदार)	कुल देय (कॉलम 3 एवं 4)
सम्पत्ति कर		रु.	रु.	रु.
जल प्रभार(.....अदद टैप)		रु.	रु.	रु.
साफ- सफाई कर		रु.	रु.	रु.
अन्य कर		रु.	रु.	रु.

(रूपये.....)

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने दिनांक की रसीद सं. द्वारा सभी देय चुका दिया है।

राजस्व अधिकारी
नगरपालिका परिषद

लेखा अधिकारी
नगरपालिका परिषद

आवेदकों के लिए निर्देश :

1. आवेदकों से अनुरोध है कि घर की पहचान के लिए उचित पता दें। यदि नगरपालिका द्वारा मकान सं. आबंटित की गई है तो उसे उचित कॉलम में भरें। फोन सं. यदि हो तो उसे भी कॉलम 7 में भरें।
2. आवेदकों से अनुरोध है कि वे परिषद के सभी देय का भुगतान चुकता करें और आवेदन फार्म पर परिषद के राजस्व अनुभाग से यह लिखवाएं कि उनके नाम पर कोई देय बकाया नहीं है।
3. आवेदकों से अनुरोध है कि कॉलम 5 और 6 में अपेक्षित दस्तावेज फार्म के साथ संलग्न करें अन्यथा आवेदन को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।
4. आवेदक के सभी लम्बित नगरपालिका परिषद के सभी लम्बित देय की भुगतान हो गई, यह सुनिश्चित होने के पश्चात् आवेदन फार्म को इस कार्यालय द्वारा सम्बंधित कनिष्ठ अभियंता को भेजा जाएगा। उचित पता के न होने पर सम्बंधित कनिष्ठ अभियंता को घर की पहचान करने में दिक्कत होगी। अपने मामले की शीघ्र निपटान के लिए आवेदक कनिष्ठ अभियंता से सम्पर्क करके अपना रिहायसी पता बता सकता है।
5. कुछ क्षेत्रों/स्थानों में अथवा सूखे के मौसम के दौरान परिषद टैप कनेक्शन देने की स्थिति में नहीं होता है। इन क्षेत्रों में अथवा सूखे के मौसम में टैप कनेक्शन के लिए आवेदन जारी करने के लिए अनुरोध के ऐसे मामले में कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, स्थिति के सुधरने तक परिषद द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा।

कनिष्ठ अभियंता का रिपोर्ट

1. आवेदक का नाम :
2. कितने नल कनेक्शन के लिए आवेदन दिया गया है :
3. उपलब्ध कराए जाने वाले नल की लम्बाई तथा व्यास :
4. उपलब्ध कराए जाने वाले वॉल्व की संख्या तथा व्यास :
5. वर्तमान में परिसर में मौजूद नल कनेक्शन की संख्या तथा आकार सहित :

क.	नाम	सं.	व्यास
ख.			
ग.			
6. क्या मौजूदा नल कनेक्शन तथा पाईप अच्छी स्थिति में है तथा उचित नियंत्रण वॉल्व फिट किए गए हैं :

हाँ/ नहीं	क).....
	ख).....
7. उस पाईप लाईन का विवरण तथा व्यास जिससे कनेक्शन दिए जाने का प्रस्ताव है :

8. शाखा लाईन के अन्य नलों को प्रभावित किए : हाँ/ नहीं
बिना क्या प्रस्तावित नल कनेक्शन से पर्याप्त
पानी उपलब्ध होगा
9. परिवार के सदस्यों की संख्या
- क) मालिक :
- ख) किराएदार :
10. अ.लो.नि.वि./ नगर पालिका फुटपाथ की लम्बाई :
जिसे काटने की आवश्यकता हो
11. विशेष सुझाव/ टिप्पणी, यदि कोई हो :

कनिष्ठ अभियंता I/II/III –(जल कार्य)
नगर पालिका परिषद

पोर्ट ब्लेयर
स्केच मैप का विवरण दूसरी ओर है

पावती


आर.डी. सं.

श्री/ श्रीमती पुत्र/ पत्नी/ पुत्री निवासी
..... से दिनांक को वर्ष 2014 से 2015 का पूरी तरह से भरा हुआ प्रपत्र
सं. प्राप्त हुआ।

अवर श्रेणी लिपिक का हस्ताक्षर
(जल कार्य प्रभार)
नगर पालिका परिषद

नोट— अधिक जानकारी के लिए कृपया कार्यालय की अभिस्वीकृति देखें।

कनिष्ठ अभियंता द्वारा बनाए जाने वाले स्केच मैप का स्थान



नगरपालिका परिषद का कार्यालय

पोर्ट ब्लेयर

(जल आपूर्ति उप-मंडल-1)

आकलन सं.-6 / एई-1 / डब्ल्यूडब्ल्यू / एम सी / 2015-16 /

दिनांक: 20

कार्य का नाम:में सर्वे सं. में श्री/श्रीमतीपुत्र/पत्नी के परिसर में घरेलू/वाणिज्यिक प्रयोग हेतु अदद ½" व्यास की जी.आई. पाईप लाईन बिछाना।

स्वीकृति आदेश सं. 6- / एई-1 / डब्ल्यूडब्ल्यू / एम सी / 2015-16 /

दिनांक: 20

क्रम सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	इकाई	राशि
1.	जल आपूर्ति शाखा लाईन से ½" व्यास जी आई पाईप की 6 मीटर (अधिकतम) की लंबाई तक कनेक्शन तथा इसे लगाने का श्रमिक प्रभार जिसमें परिसर तक जी आई ट्रेन्चिंग लगाना शामिल है				
2. अतिरिक्त लम्बाई तक ½" जी आई पाईप लगाने का श्रमिक प्रभार जिसमें ट्रेन्चिंग कार्य तथा परिसर में अतिरिक्त फिटिंग शामिल है				
3.	सभी सामग्रियों पर 50% की दर से अतिरिक्त आकस्मिक प्रभार				
4.	अतिरिक्त विभागीय प्रभार 23.25% की दर से				
कुल राशि :					

(रुपए)

नोट-ऊपर बताए गए कनेक्शन के लिए सभी आवश्यक सामग्रियां आवेदन द्वारा दी जाएगी।

सहायक अभियंता-1(जल कार्य)
नगरपालिका परिषद

परिषद के दिनांक के रसीद सं. के अनुसार रुपए (शब्दों में मात्र) प्राप्त किए।

कर संग्रहकर्ता
नगरपालिका परिषद

**नगरपालिका परिषद का कार्यालय
पोर्ट ब्लेयर**

(जल आपूर्ति उप-मंडल-1)

आकलन सं.-6 /ई-1/डब्ल्यूडब्ल्यू/एम सी/2015-16/ दिनांक: 20

कार्य का नाम:में सर्वे सं. में श्री/श्रीमतीपुत्र/पत्नी के
परिसर में घरेलू/वाणिज्यिक प्रयोग हेतु अदद ½" व्यास की जी.आई. पाईप लाईन
बिछाना।

स्वीकृति आदेश सं. 6- /ई-1/डब्ल्यूडब्ल्यू/एम सी/2015-16/ दिनांक: 20

क्रम सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	इकाई	राशि
1.	नगरपालिका के पाईप लाईन से कनेक्शन लगाने हेतु श्रमिक शुल्क-				
	i. 40 मिमी. व्यास की नॉमिनल बोर				
	ii. 50 से 80 मिमी. व्यास की नॉमिनल बोर				
	iii. 100 से 150 मिमी. व्यास की नॉमिनल बोर				

(रूपए)

नोट:- उपर्युक्त कनेक्शन के लिए सभी आवश्यक सामग्रियां आवेदक द्वारा दी जाएगी।

**सहायक अभियंता-1(जल कार्य)
नगरपालिका परिषद**

परिषद के दिनांक के रसीद सं. द्वारा रूपए (शब्दों में
मात्र) प्राप्त किए।

कर संग्रहकर्ता
नगरपालिका परिषद

फार्म - ख
(उप-नियम 6 देखें)
समापन रिपोर्ट फार्म

सचिव के दिनांक के संख्या द्वारा स्वीकृत अनुसार के रूप में पहचाने जाने वाले के परिसर में मकान कनेक्शन, परिवर्तन या विस्तार के दिनांक की आवेदन सं. के संदर्भ में नलसाज का समापन रिपोर्ट। (फेररयूल का आकार)

नियंत्रण स्टॉप टैप का आकार)
मीटर संस्थापन की तिथि) कार्यालय प्रयोग के लिए
आकार इंच, मीटर सं. द्वारा निर्मित

(निम्नलिखित नलसाज द्वारा भरा जाए)

1. नलों का व्यास
2. बिब टैपो की विवरण सहित आकार तथा संख्या
ठंडा
- गर्म
3. फ्लशिंग सिस्टर्नस के कनेक्शन तथा आकार की संख्या
4. क्लोसेट स्टेटिंग पैटर्न की संख्या
5. भण्डारण सिस्टर्न की क्षमता तथा आकार
6. गर्म पानी की फिटिंग विवरण सहित
7. नलसाज द्वारा कार्य समाप्त करने की तिथि
8. प्रमाणित किया जाता है कि सचिव द्वारा स्वीकृत कार्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया।

नलसाज के हस्ताक्षर

फार्म ग (उप-नियम 14 देखें)

पानी मीटरों की मरम्मत तथा सर्विस पंजिका

आकार इंच मीटर सं.

सर्विस में सर्विस अवधि			मीटर रीडिंग			मीटर रीडिंग में ली गई लीटर 2 कि.ली. का रिकार्ड रखें	वापस करने का कारण	मीटर मरम्मत की प्रकृति	सामग्री मूल्य			
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10
सर्विस में ली गई	वापस की गई	दिन तथा महीने	जारी तिथि के समय	वापसी तिथि के समय	लीटर कि.ली. रिकार्ड				श्रमिक	सामग्री	कुल	टिप्पणी

अनुलग्नक II

नियमित पानी का कनेक्शन पाने के लिए उपभोक्ता द्वारा जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की जाँच सूची

वर्ग-I क्षेत्र के अर्न्तगत निजी मकान

1. निर्धारित प्रपत्र में पूरी तरह से भरे हुए आवेदन की तीन प्रतियाँ।
2. स्वामित्व प्रमाणपत्र की प्रति (स्वयं सत्यापित)।
3. पंजीकृत जी.पी.ए. की प्रति (जी.पी.ए. धारक के मामले में)
4. संपदा कार्यालय से प्राप्त प्रमाणपत्र (स्वयं सत्यापित)।
5. अस्थायी पानी के कनेक्शन के संबंध में एस.डी.ओ.- प्रभारी से अंतिम भुगतान के लिए प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र।

वर्ग-II सरकारी आवास

1. आंबटिती द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरा हुआ आवेदन की तीन प्रतियाँ।
2. आवास आंबटन पत्र की प्रति (स्वयं सत्यापित)।
3. आवास आधिपत्य की प्रति (स्वयं सत्यापित)।

वर्ग-III आवास बोर्ड/ आवास इकाई

1. निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरा हुआ आवेदन की तीन प्रतियाँ।
2. आंबटन पत्र की प्रति (स्वयं सत्यापित)।
3. आधिपत्य पत्र की प्रति (स्वयं सत्यापित)।
4. जी.पी.ए. मामले में मुखतारनामों की प्रति (नोटरी पब्लिक/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित)।

वर्ग-IV सोसाइटी फ्लैट

1. निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरा हुआ आवेदन की तीन प्रतियाँ (सोसाइटी प्रशासन/अध्यक्ष/सचिव/सोसाइटी का प्रशासन)।
2. आंबटन पत्र की प्रति (स्वयं सत्यापित)।
3. आधिपत्य पत्र की प्रति (स्वयं सत्यापित)।
4. भवन अधिकारी से प्राप्त समापन प्रमाणपत्र/ आधिपत्य प्रमाणपत्र (स्वयं सत्यापित)।
5. निर्माण के दौरान पानी प्रभार संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र।
6. आवेदन प्रपत्र में लाइसेंसधारी नलसाज से प्राप्त प्रमाणपत्र।

वर्ग-V पुनर्वास कॉलोनी

1. निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरा हुआ आवेदन की तीन प्रतियाँ आंबटिती का नाम।
2. आंबटन पत्र की प्रति (स्वयं सत्यापित)।
3. आधिपत्य पत्र की प्रति (स्वयं सत्यापित)।
4. सड़क काटकर उसकी पुनः मरम्मत करने की प्रभार रसीद, यदि शामिल हो तो।
5. आवेदन पत्र में लाइसेंसधारी नलसाज का प्रमाणपत्र।
6. जी.पी.ए. मामले में मुखतारनामा (नोटरी पब्लिक/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित)।

नोट- ऐसी पुनर्वास कॉलोनी में सभी कनेक्शनों के लिए मीटर होगी।

वर्ग-VI व्यवसायिक/ औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्र

1. विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र की तीन प्रतियाँ (निर्धारित प्रपत्र में)।
2. आधिपत्य प्रमाण की प्रति (स्वयं सत्यापित)।
3. भवन अधिकारी से प्राप्त आधिपत्य प्रमाणपत्र की प्रति (स्वयं सत्यापित)।
4. एस.डी.ओ. प्रभारी से प्राप्त अस्थायी पानी कनेक्शन के लिए अंतिम भुगतान संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र।

वर्ग-VII सरकारी परिसर/ कार्यालय संस्थागत कार्यस्थल

1. विभागाध्यक्ष या उनकी ओर से अन्य व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरा हुआ आवेदन की तीन प्रतियाँ।
2. परिसर के आंबटन पत्र की प्रति (स्वयं सत्यापित)।
3. परिसर आधिपत्य पत्र की प्रति (स्वयं सत्यापित)।
4. सड़क काट कर उसे पुनः मरम्मत करने की प्रभार रसीद, यदि शामिल हो तो।
5. भवन अधिकारी से आधिपत्य/समापन प्रमाणपत्र की प्रति(स्वयं सत्यापित)।
6. निर्माण के दौरान पानी प्रभार संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र।

वर्ग-VII दूसरा कनेक्शन

1. निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरा हुआ आवेदन की तीन प्रतियाँ।
2. आधिपत्य प्रमाण की प्रति (स्वयं सत्यापित)।
3. पंजीकृत जी.पी.ए. की प्रति (जी.पी.ए. वालो के मामले में)।
4. आवेदन पत्र में लाइसेंसधारी द्वारा अलग से नलसाजी प्रणाली के लिए प्रमाणपत्र।
5. सड़क काट कर उसे पुनः मरम्मत करने की प्रभार रसीद यदि, शामिल हो तो।
6. यदि मकान शेरर प्रतिशत के आधार पर है तो तल स्पष्टीकरण के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र।
7. भुगतान किए गए अंतिम पानी प्रभार की प्रति।

अस्थायी पानी कनेक्शन पाने के लिए उपभोक्ता द्वारा जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की जाँच सूची :

I. आवादीय/ व्यवसायिक/ औद्योगिक कार्यस्थल तथा कॉलेज/ संस्थान तथा अन्य कार्यस्थल

1. निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरा हुआ आवेदन की तीन प्रतियाँ।
2. मकान/ प्लॉट के आंबटन पत्र की प्रति (स्वयं सत्यापित)।
3. मकान/ प्लॉट का आधिपत्य पत्र की प्रति (स्वयं सत्यापित)।
4. एस.डी.ओ. - सर्वेक्षक द्वारा जारी सीमाकन प्रमाणपत्र की प्रति (स्वयं सत्यापित)।
5. भवन अधिकारी, पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद द्वारा जारी कुर्सी स्तर प्रमाणपत्र।
6. आवेदन पत्र में लाइसेंसधारी नलसाज का प्रमाणपत्र।
7. सड़क काट कर उसकी पुनः मरम्मत करने की प्रभार रसीद, यदि शामिल हो तो।
8. भवन निर्माण के तहत आने वाले क्षेत्र को दर्शाता स्वीकृत भवन योजना की प्रति (स्वयं सत्यापित)।
9. भवन योजना स्वीकृत पत्र की प्रति (स्वयं सत्यापित)।

II. विविध कार्यों (जैसे मेला, सर्कस अथवा अन्य कार्यों) के लिए अल्प अवधि की अस्थायी जल कनेक्शन :

1. निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र की तीन प्रतियाँ।
2. क्षेत्र के उपयोग एवं उद्देश्य की मंजूरी की प्रति (स्वयं सत्यापित)।
3. उपभोक्ता द्वारा नलसाजी कार्य किया जाएगा।

III. सरकारी भवन तथा अन्य प्रमुख भवनों के निर्माण के लिए ठेकेदारों को कनेक्शन

1. निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरा हुआ आवेदन की तीन प्रतियाँ।
2. आंबटन पत्र की प्रति (स्वयं सत्यापित)।
3. सड़क काट कर उसकी पुनः मरम्मत करने की प्रभार रसीद, यदि शामिल हो तो।
4. कुल कवर क्षेत्र की 1.5% की दर से या रू. 8/- प्रति वर्ग मी. के गुणक से जल प्रभार की कटौती के संबंध में संबंधित विभाग का प्रमाणपत्र।

**ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION
SECRETARIAT**

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 5th June, 2017

No. 84/2017/F. No. 3-53/2016-UD-I.— Whereas, a Press Release inviting Objection and Suggestion for Water Bye-laws under Section 202 of Andaman & Nicobar Islands (Municipal) Regulation, 1994 was published in 'The Daily Telegrams' vide Press Release No. 3-53/2016-UD-I dated 19.12.2016 for information of general public.

And, whereas, the Objections / Suggestions received from the general public within the specified period have been examined with due consideration.

Now, therefore, in exercise of powers conferred under Section 202 of Andaman & Nicobar Islands (Municipal) Regulation, 1994, the Lieutenant Governor, A & N Islands has been pleased to confirm the 'Port Blair Municipal Council', Water Bye-laws, 2017 namely;

1. Short Title:

- i) These Bye-laws may be called —the Port Blair Municipal Council Water Supply Bye-laws, 2015.
- ii) These Bye-laws shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions : In these bye-laws, unless the context otherwise, requires: -

- i) **"Capacity"** in relation to storage cistern means the capacity of the cistern measured upto the waterline/level.
- ii) **"Secretary"** means the Secretary, Municipal Council, Port Blair.
- iii) **"Communication Pipe"** means
 - a) where the premises supplied with water abuts the part of the street in which the main is laid, and the service pipe enters those premises otherwise than through the outer wall of a building abutting on the street and has a stopcock placed in those premises and as near to the boundary of that street as is reasonably practicable, so much of the service pipe as lies between the main and that stopcock;
 - b) in any other case, so much of the service pipe as lies between the main and the boundary of the street in which the main is laid, and includes the ferrule or other method of connection at the junction of the service pipe with the main to support 24/7 water distribution network in coming 3 years subject to availability of water being supplied to the Municipal Council Port Blair by APWD (Andaman Public Works Department) and also —
 - (i) where the communication pipe ends at a stopcock, that stopcock; and
 - (ii) any stopcock fitted on the communication pipe between the end thereof and the main;
- iv) **"Connection pipe"** means any from the ferrule up-to the stop tap connecting the city supply main with a service pipe;
- v) **"Consumer"** means any corporate body, person or persons supplied or applying to be supplied with, or using water from the City Water Works, or any person or persons otherwise liable for the payment of water charges;
- vi) **"Consumer's pipe" "Consumer's fittings"** means all pipes, fittings, such as taps, cocks, valves, meters, cisterns, baths, water closets, lavatory basins and other similar apparatus used in connection with the supply and use of water from the city Water Works, which are not the property of the Port Blair Municipal Council, Port Blair.

- vii) **“Corrosion Resisting Alloy”** means an alloy which is highly resistant to corrosion by the water supplied by the Port Blair Municipal Council.
- viii) **“Cylinder”** means a cylindrical closed vessel capable of containing water under pressure greater than atmospheric pressure;
- ix) **“Distributing Pipe”** means any consumer’s pipe, which is trunk not main, but conveys water supplied by the Port Blair Municipal Council, from a storage tank/ reservoir, and under pressure from such cistern only;
- x) **“Ferrule”** means a ferrule connecting a connection pipe with the distribution pipe;
- xi) **“House”** means dwelling house, whether a private dwelling house or otherwise and includes any part of a building, if that part is occupied as a separate dwelling house or any land to which water from the City Water Works is supplied;
- xii) **“Indian Standard Specification”** means standard or specification issued by the Bureau of Indian Standards.
- xiii) **“Service Pipe”** means so much of any pipe for supplying water from a main to any premises as is subject to water pressure from that main, or would be so subject but for the closing of some tap;
- xiv) **“Stand Post”** means a point of public water supply provided with a tap or other mechanical contrivance for opening or closing the supply;
- xv) **“Storage Tank”** means any tank, other than a flushing cistern, having a free water surface under atmospheric pressure from which water supplied from the City Water Works is delivered for use otherwise than through a draw off tap fixed to the cistern;
- xvi) **“Stop Tap”** means stop cock, stop valve and any other device fitted at the end of a connection pipe furthest away from City Supply Main, for the purpose of shutting off or regulating the supply of water from the main to any house, building or land;
- xvii) **“Tank”** means a non-cylindrical closed vessel capable of containing water under pressure greater than atmospheric pressure;
- xviii) **“Temporary Purpose”** in relation to the use of any pipe means building, demolition or constructional work for such period as the work is in progress, or any other temporary purpose for a period not exceeding six months or such longer period as the Secretary may approve in any particular case;
- xix) **“Water Line”** in relation to a cistern means the top water line at which the overhead tank/ cistern is designed to work;
- xx) **“Warning Pipe”** means an overflow pipe so fixed that its outlet is in an exposed and conspicuous position where the discharge of any water there from may be readily seen.
- (xxi) **“Residential Premises”** means used wholly for human habitation and includes all garages, stables and other out- buildings appurtenant thereto and being used for purposes subservient to residence.
- (xxii) **“Commercial Premises”** means any wherein any business, trade or profession is carried on for profit and includes journalistic, or printing establishment and premises in which business of banking, insurance, stocks and share; brokerage or produce exchange is carried on or which is used as hostel, restaurants boarding, chicken & mutton stalls, slaughter houses, catering house, theatre, cinema done or other place of public entertainment or bhawans running commercial activities in the premises, farm houses & paying guests accommodation where food is cooked & served to the paying guests and also includes the premises where the premises where new construction or renovation of old building or any other place which the Secretary, Municipal Council may, by Notification in Official Gazette, declare to be a commercial establishment for the purpose of these Bye-laws.

PUBLIC WATER SUPPLY**3. Use of Public Stand Post:**

- (i) No person, unless otherwise duly authorized by the Secretary in his behalf, shall open or in any way interfere with any main pipe, valve or fire-plug or fire hydrant connected with the City Water Works.
- (ii) No person shall willfully or negligently cause the water from a stand post to run waste, and every person after using the stand post shall turn off the tap.
- (iii) No person shall use stand post or public tap with the object of securing a supply of water for a purpose other than a domestic purpose.
- (iv) No person shall use the stand post for bathing or for washing of clothes or other articles or animals.
- (v) No person shall use water derived from the stand post, public tap or fire hydrants for building operation or for the purpose of any manufacturing or for any commercial purpose.
- (vi) As a policy PBMC phase of public stand post providing water free of charges and here after metered stand post will be sanctioned to a group of people, residents association, market association etc. who will be applying for metered public stand post described in Annexure-I. the authorized person on behalf of above association shall be sanctioned with ½ inch metered connection subject to the following condition:-
 1. He/ She shall pay the tariff regularly as notified by PBMC time to time failing which the stand post will be disconnected.
 2. He/She will be responsible for payment of water charges and ensure maintenance of metered public stand post, wastage of water and other relevant provisions of these Bye-laws as applicable to other consumers.
- (vii) The consumers availing benefit from existing public stand post are also to apply in the same manner has stated in clause (vi) and prescribe in Annexure (I) within six month of Notification of this Bye-laws failing which the public stand post will be disconnected.

Explanation:- For the purpose of these bye-laws, water for a domestic purpose shall not be deemed to include water for:

- (a) Any trade, manufacture or business; or for any commercial purpose.
- (b) Fountains, swimming baths or for any ornamental or mechanical purpose including that for cooling, air conditioning and water softening plants; or
- (c) Gardens or for purposes of irrigation; or
- (d) Watering roads or paths; or
- (e) Building purposes; or
- (f) For washing vehicles or animals.

MAKING ALTERATION OR EXTENSION OR PRIVATE CONNECTION

4. Application for Supply:- Subject to the provisions of Bye-law 38, no connection with the City Supply Main for private connection and no alteration or extension of any such existing water connection shall be made in any private premises or house except on an application of the owner of such premises or house or of his/her recognized agent, who shall be registered as the consumer and shall be responsible for the observance of these Bye-laws so far as the connection on his/her house or premises is concerned.

5. (I) Regular Connection:

The consumer shall apply for regular connection in prescribed form by paying Rs. 50/- along with the documents mentioned in Annexure III. The consumer has to clear all the dues of PBMC water charges before applying for regular connection. On receipt of the intimation regarding sanctioning of connection, the applicant shall deposit the water meter security as per actual cost (refundable security for recovery of water charges in case of default) connection charges & (other material will be supplied by the consumer) as specified by PBMC. The meters shall be provided, installed & maintained by the consumer on his own cost after getting it tested from the Municipal Council. In case the Council provides/ replaces such meters, the consumer would be required to deposit the cost of water meter & other allied material required for connection. Connection charges as the water connection only be released in the name of owner or registered General Power of Attorney Holder.

- (a) Connection charges shall be as per the Council's resolution.
- (b) The material shall be made available by consumer at his own cost including necessary excavation at site.
- (c) Payment of road cut charges as per rate of WW/RW wing of the Municipal Council, Port Blair Administration will be made by the consumer.
- (II) Such application shall be accompanied by the documents as mentioned Annexure II in the Bye-laws.
- (III) On receipt of the complete application in hard copy or on line as applicable the connection shall be sanctioned, if found in order as per Bye-laws.
- (IV) No new water connection will be given for commercial purposes of an area more than 500 Sq.m, in which rain water harvesting is in place & not working or not in place.
- (V) In the event of non-payment of water charges or any other due by the Consumer, the Secretary, Municipal Council may recover the arrears out of the security deposited by the Consumer. If the security deposited by the consumer is inadequate to recover the full arrears of the Water charges/ or any other due, the Secretary shall be authorized:-
- (a) To club the water charges with property charges for recovery and ultimately to disconnect the connection also in default of non-payment
- (b) To recover the arrears in the same manner as arrears of Property Tax.
- (VI) In case, the meter has been damaged or rendered defected the Secretary, Municipal Council may direct consumer in writing to replace or correct the meter within 48 hours failing which the water connection will be disconnected. However, subject to the provisions of Bye-law 5(I), in general, the meters of higher sizes shall be purchased & replaced at the cost of consumer.

Sub-Registrar, South Andaman & Revenue department will have to obtain No Dues Certificate from the Municipal Council in respect of water charges and other charges before granting NOC for sale of property. Transfer Ownership Fee of Rs. 500/- per connection will be charged by the Municipal Council to change the name of the consumer.

6. Sanction for Alteration or Extension:

- (i) If on receipt of the estimate (cost of material & labour for excavation etc.) the applicant wishes to have the alteration or extension carried out, he/she shall deposit in the office of the Secretary/ authorized officer the amount of the estimate (cost of material & labour for excavation etc.), and if alteration or extension is sanctioned by the Municipal Council/ Secretary, the work of laying communication pipe and fittings shall be executed by the Municipal Council/ Secretary. The remaining work of pipes laying and consumer's fittings and service pipes shall be done by licensed plumber in accordance with these bye-laws and Water Supply Regulations. If any conditions of limitations are imposed by the Secretary, while conveying sanction to the connection, such conditions or limitations shall be binding on applicant.
- (ii) The licensed plumber, after completion of the work shall submit a completion report in Form "B" as given in Annexure I.
- (iii) Competent Authority for the grant of water connection / alteration / extension shall be as under:-

Sl. No.	Description	Size of connection	Competent authority to sanction the water supply connection
1	Regular Domestic, Commercial, Industrial and Institutional connection (Other than for construction purposes)	Upto 15mm	Sub-Divisional Engineer
2	Regular Domestic, commercial, Industrial and Institutional connection (Other than for construction purposes)	20mm to 40mm	Executive Engineer
3	Water connections of all categories	Above 40mm	Superintending Engineer
4	All types of temporary water connections	a) Upto 15mm only b) above 15mm	Executive Engineer Superintending Engineer

7. **Requirement of Meter :-** All existing connections for water supply shall be metered as per the schedule separately notified by PBMC.
8. Requirement of rain water harvesting, if not in place not working for all establishments of area more than 500 Sq.m & recycling of waste water for commercial establishment of more than 500 Sq.m within 6 in months of notification of these Bye-laws.
9. **Connection to mains :-** All consumer's pipes and consumer's fittings shall be provided and laid in accordance with these Bye-laws and Water Supply Bye-laws and shall be perfectly sound and water-tight before the water connection is released. On completion of the work, a completion report in Form -B given in Annexure I duly signed by the licensed plumber shall be submitted to the Secretary, and water will not be supplied to any house or premises unless compliance of the above provisions is made.
10. **Alteration or removal of Consumer's Pipes and Fitting :-** No consumer's pipes shall be altered or extended except with prior permission of Secretary in accordance with these bye-laws
11. **To Curb leakage of water line between Ferrule and Water Meter**
On observing leakage on such points, notice will be served to the consumer asking him/her to get the leakage rectified within a period of 2 days. In case of non-compliance, leakage shall be got repaired at the risk and cost of the consumer and the amount so involved will be intimated to the water bill section alongwith the fine of Rs. 500/- which will be recovered in the ensuing water bill.
12. A consumer may be permitted to have his own meter subject to the following conditions:
- (a) Meter shall be of a type approved by the Municipal Council and in proper working order.
- (b) A consumer may have his own sub-meter installed with the sanction of Municipal Council but the Municipal Council, shall not be responsible for its maintenance or repair etc. or for reading of a Sub Meter.
- (c) In case of loss or theft of water meter, the consumer shall file a FIR/DDR or file an affidavit duly attested by the Magistrate/Public Notary for installation of the new meter for obtaining approval from PBMC, after depositing the requisite water meter cost and installation charges as per actual charges.
- (d) Reinstallation / disconnection charges: The following reinstallation / disconnection charges shall be recovered from the consumer:

Meter Size	Reinstallation / disconnection charges
15mm or ½" i/d	Rs.50/-
20mm or ¾" i/d	Rs.60/-
25mm or 1" i/d	Rs.75/-
40mm or 1½" i/d	Rs.100/-
50mm or 2" i/d	Rs.200/-
More than 50mm 100mm or 4"	Rs.300/-
More than 100m	Rs.500/-

13. Charges for Water Consumed:

The charges for the water payable by the consumer shall be as follows per month:

(I) The water consumed for domestic use in residential premises shall be charged at the following rates slab:-

- (a) First 15 Kilolitres. @ Rs. 3.00 per Kilolitre.
 (b) From 15 Kilolitres upto 30 Kilolitres @ Rs. 5.00 per Kilolitre.
 (c) From 30 Kilolitres upto 60 KL @ Rs. 7.00 per Kilolitre.
 (d) Above 60 KL @ Rs. 9.00 per Kilolitre.
 (e) For non-metered every first two (2) connection @ Rs. 50/ per connection/ month.
 (f) Every other non-metered connections @ Rs. 60/per connection/month Consumer will; be required to install water meters within prescribed time limit from the date of notification (notice to be issued separately by Secretary, PBMC) failing to install water meter within prescribed date shall attract double the rate mentioned at 13 (e) & (f) which shall be realized from the consumer.

Provided that the Council by a resolution and with the approval of the administrator may give certain rebate to a particular category of persons like Diviang (disabled persons) etc.

(II) The minimum Rates for Commercial Premises shall be as under:-

Sl. No.	Description	Minimum rates Chargeable P M
1	Booths (Trade of fast food/ dhabas etc.)	Rs.90/- per ton
2	Hotels , Cinema , Shopping Malls, Restaurants/ Bars/ Garages and Wine Liquor shops (With A/C facilities) Commercial/ Clinic & other commercial coaching establishment.	Rs.160/- per ton
3	All Hotels, Restaurants, Lodges and Guest Houses with (Non- A/C facilities) Residential building or any part these of being used professional purpose.	Rs.145/- per ton
4	Under Charitable (Category-A) One ½ dia tap provide at religious institutions will be treated as domestic connection	Rs.50/- per 1 st tap
5	Under Charitable (Category -B) All other connection will be treated as commercial connection as per the quantity measured by the water meter	Rs.80/- per ton
6	Educational Institutions (per ton) a) Government b) Private	Rs.300/- per ton Rs.120/- per ton
7	Government Departments	Rs.400/- per ton
8	Ship Supply	Rs. 400/- per ton
	Tanker Supply	
9	Domestic Consumption Tanker Supply (Card)	Rs. 120/- (per month for 200 litres per day)
10	Casual Supply (Per 200 ltrs)	Rs. 45 /- per 200 ltrs
11	Commercial Supply (per ton)	Rs. 255/- per ton
12	Charitable Supply (per ton)	Rs. 80/- per ton
13	Education Purpose (per ton)	Rs.160 /- per ton
14	Govt. Department Supply (per ton)	Rs. 400/- per ton
15	Ship Supply (per ton)	Rs. 400/- per ton
16	Temporary Connection (1/2) per connection	Rs. 255/- per ton

The above charges may be changed for time to time through Notification by PBMC. Premises not covered by clauses I & II shall be charged at 255 per kilo/liter

(III) Enhancement of Water Charges/ Penalty Levied:-

Rate as per tariff mentioned in this Bye-laws will be enhanced additionally 3% with respect to the rates of predecessor year on yearly basis and will be reviewed in every 3 years.

14. (A) a consumer who fails to pay the water charge by the due date shall be liable to pay interest and fine as under :

- (1) Interest @12% per annum for the delay period and
- (2) Fine of Rs. 50/- for a delay period of 15 days and in case of further continuing breach with a further fine of Rs 5/- per day.

In case the delay in payments exceed more than 03 months from the due date indicated in the original bill. Then the original bill shall be deemed to be notice and water supply to the premise shall be disconnected without further notice. Thereafter in case of reconnection, the consumer will be liable to pay interest and fine as per above along with reconnection fee :

Provided that the secretary or any officer authorized by him/her in this behalf may:-

- i) Allow the arrears of water charges to be paid in such number of installments as he deems fit; and
- ii) Waive the penalty levied for non-payment of water charges by the due date in the following cases:-
 - (a) Where the meter reading recorded on the bill is found to be incorrect; or
 - (b) Where the meter found to be not in proper working order.

14 (B) Special provisions for Housing Societies:

- 1) **Charges for Societies:** Water connection shall be allowed to only those Societies which have been approved by Port Blair Administration/ Municipal Council/ Port Blair TCP. Connection charge shall be levied as per rates fixed by PBMC on total house hold basis

2) Tariff Structure for the Housing Societies:-

Water shall be supplied to the Societies through bulk meters. The water will be supplied only to the underground tank of the society considering it as only one unit in such cases. The Society may get installed sub water meter for individual flat/house. Water will not be released unless the bulk water meter is installed and mere deposit of the Tee Connection charges/fee will not entitle release of water. The Society shall be responsible for the payment of the total water supplied to it. The tariff structure as given in Bye-law 13 (II) shall be applicable to the Society after issue of occupation certificate by the Building officer.

The charges for the water payable by the consumer to be calculated for each dwelling unit shall be same as per the tariff proposed above under Bye-law-13 (I).

15. Position of Meters:

- (i) Every meter shall be placed as near to the stop cock as possible and in a position where it can be conveniently examined. The position shall be selected by the Secretary, who shall have exclusive control of meter and stop cock.
- (ii) An account of the service and cost of repairs of the meters installed by the Secretary shall be kept in Form C given in Annexure I.
- (iii) Interference with meter :- No meter shall be disconnected from the service pipe or otherwise interfered with, except with the permission of the Secretary.

16. The Secretary, Municipal Council may withdraw or restrict water supply during peak load hours for non-domestic use or at any other time, if it should appear necessary to do so in order to maintain a sufficient supply of water for domestic purposes.

17. Correctness of meter : PBMC has got full power to check the correctness of meter through authorized agency or if checked by PBMC the following fee will be applicable:-

18.

Sl. No.	Size of the Meter	Amount of Testing Fee
i)	½" or 15 millimeters	Rs. 200.00
ii)	¾" 1" to or 20 millimeters to 25 millimeters	Rs. 250.00
iii)	1½" or 40 millimeters	Rs. 300.00
iv)	2" to 3" or 50 millimeter to 80 millimeters	Rs. 350.00
v)	4" to 100" millimeters	Rs. 400.00
vi)	6" to 8" or 150 millimeter to 200 millimeters	Rs. 450.00
vii)	10" to 12" or 250 millimeter to 300 millimeters	Rs. 500.00

Provided that in case the meter is found tempered with, the following penalty shall be imposed: -

- ½" dia Rs. 500/-
- ¾" dia. Rs. 750/-
- 1" dia. Rs. 2000/-
- Above 1" dia Rs. 3000/-

The competent authority for levying the said penalty shall be the Assistant Engineer (water works) or Executive Engineer (water works), Municipal Council and the same shall be reviewed by the Superintending Engineer, Municipal Council. The appeal shall lie with the Secretary, Municipal Council, Port Blair.

19. Replacement of Meter:

- (i) The Secretary shall cause a meter to be removed from service pipe and be replaced by a new meter or by a meter which has been satisfactorily repaired and tested:-
 - (a) When the meter reading book shows that the consumption has fallen off and the cause of the fall cannot be ascertained.
 - (b) Where the meter is damaged or is not recording or is otherwise out of order; or
 - (c) After continuous service of 24 months.
- (ii) A meter removed under clause (i) shall be examined and where necessary shall be repaired, cleaned and oiled.
- (iii) The meter shall then be tested and shall not be passed for service unless its readings are accurate within five percent.

20. Authenticity of Consumption: Entries in the register of a meter shall be *prima facie* evidence of the quantity of water consumed.

21. The proper working of water meter shall entirely rest with the consumer who shall be intimated of its being defective through remarks on the water bill itself. Such consumers shall be required to replace their water meters within a maximum period of four months from the date of issue of last bill bearing the remarks that the meter is defective. The charges for the period for which the meter remained defective will be on the basis of average consumption during the last one year. In case of non replacement of water meter within four months, the water supply shall be disconnected without any further notice.

22. Bill of Demand: The bill of demand for meter rent and water consumed shall be presented by the Secretary and shall be paid within fifteen days from the date of presentation of the bill.

Explanation: - For the purpose of this bye-law a bill shall be deemed to have been duly presented, if it is sent to the registered address of the consumer or e-mailed /SMS to the consumer.

23. Connections:

- (i) Every private connection shall be fitted with atleast a ferrule or any other method of connection a stop-cock, meter service pipe and a tap. If in any house or premises the connection is found to be without the above fittings, the connection may be cut off as laid down in bye-law 31.

- (ii) All pipes, ferrules, stop-cocks, meters and other fittings of the connection shall be under the control of the Secretary. Access to these shall be had by any official authorized by him in that behalf, at any time for repairing and altering the said pipes, taps etc. or for reading the meters.
- (iii) No portion of any water connection of or the pipe or main leading to it or meter shall be tampered with by any consumer in any way whatsoever, whether for the purpose of repair, alteration or any other purpose except with the written permission of the Secretary.
- (iv) The registered consumer shall be liable to pay the cost of damage and/or for loss of meter, its surface box or any other material installed by the Secretary for giving connection to his house or premises provided that in the event of damage to the meter which, in the opinion of Secretary, is willful the connection shall be closed as provided for in bye-law 31.

24. Maintenance of Consumer's Pipes and Fittings:

- (i) Every consumer shall maintain the stop taps, pipes and other fittings inside the house or premises in water-tight conditions and in thorough working order.
- (ii) The Secretary shall be entitled to depute an official to inspect the water supply installations within the house or premises of the consumer at any time during the day between 8.00 a.m. and 5.00 p.m. During night time, after the supply hours, only an officer of the rank of Junior Engineer or above shall be authorized for inspection.

If the installation or any part thereof is found to be defective; the Secretary may serve a notice on the consumer to rectify the defect within 24 hours. In the case of serious defect involving heavy wastage of water or endangering safety of the residents or building, the connection may be cut off without notice as provided for in bye-law 31.

25. Consumer's Fitting, Testing and Stamping- All consumer's fittings of what ever kind shall conform to the provisions and specifications to such further standards as may from time to time be prescribed by the Secretary and whether so specified or not shall be submitted for approval to the Secretary before being fixed. All such fittings shall be maintained, repaired and renewed at the consumer's expense to the satisfaction of the Secretary. All consumer's fittings of apparatus used in connection with the water supply of Municipal Council shall be tested and stamped by the Secretary or/and shall bear a test mark or stamp approved by the Secretary as guaranteeing conformity with these bye-laws.

26. Consumer's Pipes and Fittings- All consumer's pipes and fittings shall be provided and laid at the consumer's cost and no consumer shall be entitle to supply of water unless and until such pipes and fittings and laying and fixing thereof are approved by the Secretary on compliance with these Bye-laws and unless proper drainage arrangements have been made.

27. Erection of Water Closets to be Approved: - No connection shall be granted for the supply of water to any water-closet or urinal unless its erection is approved by the Secretary and sufficient storage is provided as specified in the building bye-laws.

28. Separate Communication Pipe to every Premise: - Every house or premises supplied with water by the Secretary shall have its own separate communication pipe. No communication pipe shall be used to supply water to more than one house or premises.

29. Duties of Consumer:

- (i) No consumer shall
 - (a) Use or suffer or permit to be used a connection in such a way as to cause waste or unauthorized use of water.
 - (b) Fix any tap in any court-yard, passage or outside any houses or premises, so as to be available for use by the public without special permission in writing from the Secretary, or fix any tap in close proximity to places where injurious fumes are likely to be produced, or fix any cock or connection to any tank or reservoir so as to permit any part of the contents of the said tank or reservoir to siphon back into the consumer's pipes.

- (c) Re-open any connection that has been stopped or re-connect the connection pipe with the City Supply Main when the connection pipe has been severed from the said main except with permission of the Secretary.
 - (d) Alter the index to any meter or prevent any meter from duly registering the quantity of water supplied.
 - (e) Obstruct or use water before it has been registered by a meter set for the purpose of measuring the same.
- (ii) A consumer shall pay for all water registered by meter fixed in his house or premises subsequent to a burst in the service pipes when the Secretary is satisfied that adequate precautions had not been taken.

30. Prohibited Connections of Consumer's Pipes: - No **Servicepipe** shall be connected to any watercloset, urinal, steam boiler or to any hot water system or any apparatus used for heating or any closed vessel other than through a cistern of such size and description as the Secretary may direct.

31. Cutting off a Connection: - Every connection shall be cut off on the request of the consumer or by order of the Secretary on account of the following reasons:-

- a) in the interest of water works.
 - b) for the purpose of effecting repairs to any part of the water supply system.
 - c) If, the bill for water supply and meter remains unpaid for a period of one month from the date of presentation of the bill to the consumers.
 - d) in case, where in the opinion of the Secretary, the use of water causes the house or premises to become unsanitary.
 - e) in case, where in the opinion of the Secretary adequate drainage arrangements have not been made for disposal of waste water.
 - f) if, in the opinion of the Secretary, danger is involved to the occupants of the house or premises or to the structural stability of such houses or premises or parts thereof.
 - g) for mis-use or infringement of any bye-law; or
 - h) in case there so directed by Secretary the commercial establishment does not install rain water harvesting & wastage water recycling as mentioned in this Bye Laws.
 - i) in case, where the owner or occupier has used or dealt with the premises in a manner contrary to any condition imposed on the transfer of land/building by the A & N Administration, as the case may be, however the water connection shall not be cut off unless the owner or the occupier as the case may be, has been given reasonable opportunity of being heard.
- Explanation:** - The cutting off a connection means merely the closing the stop tap and removing of the meter.
- j) in case the other municipal dues are not being paid by the consumer for last 6 months.

32. List of Licensed Plumbers: The Secretary/ Municipal Council shall issue plumbing license as per the qualification and procedure through Notification shall maintain a list of licensed plumbers which shall be open for inspection to any person.

33. Work to be done by Licensed Plumbers:- All work carried out by consumers in connection with the supply or use of water which is required to be done under any of these bye-laws shall only be executed by one or the other plumber named in the list referred to in bye-law 34 or their workmen.

34. Plumber's Name to be Furnished: - Every person who employs a licensed plumber to execute any such work shall furnish to the Secretary the name of the plumber.

35. Penalty for infringement of Bye-laws: Any person who commits a breach of any of these bye-laws shall be punishable with fine of Rs.50/- and in case of further continuing breach with a further fine of Rs.5/- for every subsequent day during which the breach continues :

Provided that levy of fine as per above will not absolve the person from paying interest @ 12% per annum for the delay period and compensating for the loss, If any, suffered by the Council because of infringement of bye-laws.

36 (i) The Municipal Council, Port Blair, shall charge the following amount from the owners of the premises within its municipal limits who install tube wells/Bore wells in their premises after obtaining prior sanction from the competent authority:-

Size of the bore	Amount
50 mm (2")	9,000/- Per Month
65 mm (2½")	15,000/- Per Month
80 mm (3")	22,000/- Per Month
100 mm (4")	26,000/- Per Month
120 mm (5")	40,000/- Per Month
150 mm (6")	45,000/- Per Month
Above 150 mm (above 6")	50,000/- Per Month

- (ii) The consumer will be charged double the normal rates described above, for installation of tube well without approval of the competent authority of PBMC for the period from the date of installation of the tube well till the approval is obtained in this behalf.
- (iii) The word size of the bore should be read as size of the lowering assembly of the tube well. Any tube well installed by Municipal Council will not be charged any water tariff. However, the tube wells installed by the private persons, individuals or any other departments for any purpose i.e. drinking, irrigation or commercial shall be charged as per rates already specified therein.

37. Change of Water Tariff from Commercial to Domestic:

For change of water tariff from commercial to domestic, an affidavit shall be submitted by the consumer where the commercial activity was previously carried out but subsequently stands stopped. On the basis of the recommendations of the SDO, the tariff shall be changed by the Executive Engineer.

38. Illegal use of Pumps and Motors:

No direct on line water boosting arrangement shall be installed by the consumer. In case, it is found to be installed on the direct water supply system within the premises, the following action shall be taken against the consumer:-

- Confiscation of pump/motor for first offence for Rs. 500.00.
- Confiscation of pump/motor for second offence Rs. 1000.00.
- Disconnection of Domestic / Commercial water connection.
- Confiscated pump will be released to consumer after paying of fine.

39. Illegal Restoration of already Disconnected Water Supply:

To streamline the levy of water charges in cases where disconnected supply is restored without proper authority, the consumers shall be charged the water charges for the consumption at the penal rates which will be double the applicable rates of the tariff structure along with defaulting amount. Additional Charges of Rs. 500/- will also be charged for disconnection of water supply from the ferrule.

40. Disputes Settlement & Redressal Committees:

- Any question, dispute or difference, whatsoever arising in respect of water connections obtained by the consumers from the M.C., Port Blair under these Bye-laws regarding water tariff, charges, penalties etc. imposed by the competent authority in accordance with or on account of violation of the said bye-laws shall be referred to the following Dispute Redressal Committees constituted to settle the disputes.

ii) The various Reviewing and Appellate Authorities shall be as under:-

Sl. No.	Competency for settlement of dispute	Reviewing Authority	Appellate Authority
1	Up ₹.1,00,000/-	EE Level Dispute Redressal Committee	SE Level Dispute Redressal Committee.
2	Above ₹ 1,00,000/-	SE Level Dispute Redressal Committee	Secretary Level Dispute Redressal Committee.

The following Committees shall act as Review / Appellate Authorities for Settlement of Dispute in the Water Charges Bills:-

A) Executive Engineer Level Dispute Redressal Committee:

i.	E.E, PBMC	Chairman
ii	Chairperson, Water Sub-Committee	Member
iii	A.O.(F)	Member
iv	A.E, PBMC (concerned)	Member
v	J.E (concerned)	Nodal Officer

This Committee shall be the Reviewing authority for the disputes involving an amount upto Rs.1,00,000/-

B) SE Level Dispute Redressal Committee:-

i.	S.E, PBMC	Chairman
ii.	E.E, PBMC	Member
iii	Chairperson, Water sub Committee	Member
iv	C.A.O.	Member
v	A.E, PBMC. (concerned)	Nodal Officer

- **S.E, PBMC.** means **Superintending Engineer**, Municipal Council, Port Blair.
- **E.E, PBMC.** means **Executive Engineer**, Water Works, Municipal Council, Port Blair.
- **C.A.O.** means **Chief Accounts Officer**, Municipal Council, Port Blair.
- **A.E, PBMC.** means **Assistant Engineer**, Water Works, Municipal Council, Port Blair.
- **A.O(F)** means **Account Officer Finance**, Municipal Council, Port Blair
- **J.E** means **Junior Engineer**, Municipal Council, Port Blair.

This Committee shall be the Reviewing authority for the disputes involving an amount beyond ₹.1,00,000/- & shall act as an Appellate Authority for the disputes involving upto ₹. 1,00,000/-

c) Secretary Level Dispute Redressal Committee:-

i.	Secretary, PBMC	Chairman
ii.	SE, PBMC	Member
iii.	Chairperson, Water sub Committee	Member
iv	C.A.O.	Member
v.	EE, PBMC	Nodal Officer

This committee shall act as an Appellate Authority for the disputes beyond ₹. 1,00,000/-.

iii) Procedure For Making An Application

In case, the consumer is not satisfied with the billed amount, he/she will have to make a written request to the Nodal Officer of the concerned Committee alongwith 50% of the billed amount in the shape of the draft receipt. The Nodal Officer shall arrange a meeting of the Dispute Redressal Committee once in a month and place all such requests before the Committee for decision.

In case, the consumer is not satisfied with the decision of concerned Dispute Redressal Committee (Reviewing Authority), he can make an appeal to the Appellate Authority in writing within 15 days from the decision of Reviewing Authority.

In all these Dispute Redressal Committees, the Consumer and / or his authorized representative shall be given full opportunity to put his / her case before the concerned Dispute Redressal Committee. Normally, these committees shall try to arrive at a consensus decision. In case of difference of opinion amongst the Chairman / Members thereof, the case will be decided with a majority opinion present. The Dispute Redressal Committee shall pass speaking Orders/Decisions and specify clearly, if any relaxation of rules is involved in the case. The Committee Members, if required, can also inspect / visit the premises to access the factual position. Each Dispute Redressal Committee shall decide the cases by holding maximum two meetings for any disputed case and in case the consumer or his/her authorized representative fails to turn up in the meeting, the decision of the Review/Appellate Authority shall be considered as final. At-least one meeting will be convened in a period of one month by each committee to decide the case.

Decision of the Appellate Authority will be final and no further appeal shall be entertained. These Committees shall review and decide all the cases including waiving off irrecoverable amounts. Further these Committees shall consider/review all the disputed cases of the consumers, who have been sanctioned water.

Meter connections including cases relating to excessive charging of water bills due to following reasons:

- a) Premises remained locked after construction but water bills kept on increasing every month.
- b) Premises initially occupied but thereafter remained locked for considerable period.
- c) Excessive water bill on account of high average consumption due to any technical defect in water meter including recording of wrong water meter reading.
- d) Excessive water charges bill due to leakage within the premises of the consumer.
- e) Water connection got sanctioned but physically no water connection was installed at site and the construction was not commenced or only a part of the building constructed but remained incomplete.
- f) Excessive water bill due to levy of commercial charges where the commercial activity was not carriedout at all or was carriedout for a limited period.
- g) To settle disputed bills, where the M.C. disconnected the water supply but the same was reconnected by the consumer without the permission of M.C./informing the M.C.
- h) Building was not fully occupied, only a Chowkidar / Watchman residing for watch and ward.

All the pending cases lying for consideration / review shall be forwarded to the concerned committees by the SDOs of the area under their jurisdiction within a month from the issue of this Notification. However, the cases already decided prior to the formation of these committees shall not be reopened.

41. Every connection must have float valve at the end point of discharge mouth for control on over flow/wastage of water, it is mandatory or else the connection will be disconnected. PBMC limits its responsibility of providing water at reasonable pressure upto a height of 1.0 m from the ground level of the building, Consumers are required to construct Storage Tanks / Sump Tanks within the height limit mentioned above for collecting water through the communication pipe.

42. No person shall construct any Latrine or Cesspool within Five meters of any well, tank, water pipe or in any position where such well, tank or pipe is likely to be injured or water therein polluted

43. The Secretary, Port Blair Municipal Council is fully empowered to implement and enforce the water bye-laws himself or through Officers authorized by him.

(ANNEXURE-I)

Price Rs. 10/-

Case No.....

Form No.....

**OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL
PORT BLAIR**

APPLICATION FORM FOR SANCTION OF ½" / ¾" / 1" & MORE DIA TAP CONNECTION

Issued to.....

S/o, W/o, D/o.....

R/o..... W. No.....

Issued vide Receipt No..... Dated.....

**Single Window Counter
Municipal Council.
Executive Engineer (Water Works)
Municipal Council
E-Mail I.D. -**

Ph. No.

1. Name of the Applicant :
.....
(In Block Letters)
- (a) Name of association/authorized person
for issuance of Public Tap
2. Father's/ Husband's Name :
3. Residential Address :
4. Official Address :
5. State whether the house/premises :
where the Tap Connection required :
to be provided is recorded in :
name of the applicant, If so, please :
enclose latest revenue records :
6. State whether the Tenant requires :
the Tap Connection . If so, please :
furnish the latest revenue records :
and " No Objection Certificate" of the :
House Owner/Landlord. :
7. Location of the House/premises where :
the Tap Connection is to be provided :
a) Ward No. :

- b) House No. :
- c) Survey No. Revenue Circle :
- 8. a) No. of Connection already existing in the name of the applicant :
- b) No. of Tap Connection (s) Now required. :
- c) No. of person residing in the premises. :
- 9. Monthly income of the Applicant :
- 10. Purpose of the Tap Connection :
- a) Domestic
- b) Commercial
- c) Public Tap
- 11. From which date the application is residing in the Port Blair, Municipal area (enclose documentary evidence) :
- 12. Whether the house/building where the Tap Connection is required has been constructed as per the approved plan of the Council, If So, Please give approval No. & Date. :
- 14. Estimated consumption of water per day :
- 15. Recycling of water for consumption for more than 500 Sq.m. :
- 16. Rain water harvesting system installed or not for more than 250 Sq.m. plinth area :

DECLARATION OF THE APPLICANT

I,S/o/ W/o/ D/o
 R/odo hereby affirms and declares that the statement particulars given by me above are true to the best of my Knowledge and belief and noting has been concealed. I hereby Undertake that, If any information / Particulars given by me is found false or manipulated at later date, the Municipal Council at its liberty to disconnected the Tap Connection provided in my favour without any notice. I also undertake to pay all Taxes/ Charges payable to the Municipal Council as per Rules and Regulation as may be amended time to time.

I also declare Shri..... License Plumber has been instructed by me to carryout the plumbing work.

Port Blair

Dated:

Signature of Applicant

Name:.....

I Shri License plumbers of PBMC do hereby agree to carryout plumbing work of the abovementioned premises of the applicant.

Signature of Plumber with License No.

NO OBJECTION CERTIFICATE

(TO Be furnished in case the Tap Connection is required by a Tenant)

I,S/o/ W/o/ D/o
R/o(Ward No. House No.
do hereby declare that I have no objection to sanction / provide drinking water tap connection to
Shri S/o, W/o, D/o
residing as tenant in my building/premises bearing Survey No.
at.....) in case the building vacated by the tenant,
I undertake to inform the Municipal Council, Port Blair well in advance, I also undertake to clear
the Taxes, Charges against the Tap Connection in case Shri.....
fails to do so.

Port Blair

Name/ Signature of the House Owner/ Land Lord

Dated:

CERTIFICATE OF THE WARD COUNCILLOR

Certified that Smti./Shri.....
S/o, W/o, D/o..... R/o
is known to me and the information's particulars given by the Applicant/ Land Lord are true to the
best of my knowledge and belief.

Her/ His request for sanction of ½" dia domestic / commercial tap connection may be considered.

Name & Signature of the Councillor

Ward No.

Seal

NO DUES CERTIFICATE**(FOR THE USE OF TAX SECTION OF THE COUNCIL)****STATEMENT SHOWING OUTSTANDING TAXES**

Particulars of Tax	Period (from to)	Applicants dues (House Owner/ Land/Lord)	Applicant's dues (Tenant)	Total dues (Col. 3 & 4)
Property Tax		Rs.	Rs.	Rs.
Water Charges (.....Nos of Tap)		Rs.	Rs.	Rs.
Conservancy Tax		Rs.	Rs.	Rs.
Other Tax		Rs.	Rs.	Rs.

(Rupees.....
.....)

Certified that the applicant has cleared all the above dues vied Receipt
No..... dated.....

**Revenue Officer
Municipal Council**

**Accounts Officer,
Municipal Council**

DIRECTION TO THE APPLICANTS

1. Applicants are requested to furnish proper address for identification of the residence, If Municipal House Number is allotted same is to be mentioned in the appropriate Column. Phone No. if any can also furnished at Col. 7
2. Application is requested to clear all Municipal dues, if the Revenue Section of the Council and get the endorsed on the application form is person for spend disposal of his case.
3. Applicants are requested to furnish the documents are required in Column No. 5 & 6 of the form properly to the application will be summarily rejected.
4. After ensuring that all pending Municipal Council dues of the applicant is cleared, the application will be forwarded by this office to concerned Junior Engineer, In absence of proper address the concerned Junior Engineer may find it difficult to locate the residence. For speedy disposal of his case, the applicant may contact the Junior Engineer to get his residence identified.
5. In some areas/ Locations or during dry season Council May not be in position to provide Tap Connection. In Such cases requests to issue application for tap connections in those area or during dry season will not be entertained by the Council without any prejudice till further improvement of the Situation.

REPORT OF JUNIOR ENGINEER

1. Name of the applicant :
2. No. of tap connection(s) applied for :
3. Total length and dia of pipe to be provided :
4. No. of valves to be provided and its dia :
5. No. of tap connection already existing in the : Name Nos. Dia
Premises with mane its size
a.
b.
c.
6. State whether the existing tap connection : Yes/ No
And pipe are in good condition and properly fitted with control valves. a.
b.
7. Description and dia of pipe line to which the :
connection is proposed to be provided.
8. State whether the proposed tap connection : Yes/ No
will feed adequate water without Effecting the supply through other taps of the Branch Line
9. No. of family members
(a) Owner :
(b) Tenants :
10. Length of APWD road/Municipal :
foothpath cutting required.
11. Special suggestion / Remark, if any :

**Junior Engineer-I/II/III(Water Works)
Municipal Council**

Port Blair.

Details of Sketch Map overleaf


ACKNOWLEDGEMENT

RD NO.

Received duly filled application Form No. of the year 2014 to 2015 from
Shri/Smti.....S/o, W/o, D/o.....
R/o.....on.....

Sign of LDC
(Water Works Division)
Municipal Council.

N.B.-For further inquiries please show the acknowledgement at the office.
SPACE FOR SKETCH MAP TO BE DONE BY THE JUNIOR ENGINEER



**OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL
PORT BLAIR
(WATER SUPPLY SUB-DIVISION-I)**

Estimate No. 6- /AE-I/WW/MC/2015-16/

DATED:2016

Name of work:- Laying of.....No. (s) ½" dia GI pipe line for Domestic/ Commercial Tap
Connection(s) to the premises of Shri./ Smti.
S/o, W/oon Survey No.
at.....

Sanction Order No. 6- /AE-I/WW/MC/2015-15/

DATED:- 2015

Sl. No.	Description of Work	Quantity	Rate	Unit	Amount
1	Labour charges for connection and laying ½" dia GI pipe line from water supply Branch Line upto length of 6 Mtrs. (maximum) including fixing GI trenching etc. upto the premises.				
2	Labour charges for laying and fixing ½" GI pipe to additional extra length..... Including works of trenching and required fittings upto the premises.				
3	Add contingencies charges @ 5% on all items				
4	Add departmental charges @ 23.25%				
Total Amount: Rs.					

(Rupees.....)

NB:- All required materials for the above connections shall be supplied by the applicant.

**Assistant Engineer-I (Water Works)
Municipal Council**

Received a sum of Rs.(In words).....only)

vide Council's Receipt No.dated.....

**Tax Collector/ Cashier
Municipal Council**

**OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL
PORT BLAIR
(WATER SUPPLY SUB-DIVISION-I)**

Estimate No. 6- /AE-I/WW/MC/2015-16/

DATED:20

Name of Work:- Laying of.....No. (s) ½" dia GI pipe line for Domestic/ Commercial Tap
Connection(s) to the premises of Shri/ Smti.
S/o, W/o.....on Survey No.
at.....

Sl. No.	Description Of Work	Quantity	Rate	Unit	Amount
1	Labour charges for Making Connection with Municipal Pipe Line. I) Upto 40mm dia nominal bore II) 50 to 80 mm dia nominal bore III) 100 to 150 mm dia nominal bore				

(Rupees.....)

NB:- All required materials for the above connections shall be supplied by the Applicant.

**Assistant Engineer-I (Water Works)
Municipal Council**

Received a sum of RS.....(In words).....only)

Vide Council's Receipt No.dated.....

**Tax Collector/ Cashier
Municipal Council**

FORM-B**(See Bye-law 6)****Form of Completion Report.**

Completion Report of Plumbers with reference to application No. _____ dated _____ of house connection, alteration or extension at the premises known as _____ as sanctioned by the Secretary _____ vide his No. _____ dated _____ size of ferrule _____
 Size of Controlling stop tap _____

Date of Installation of meter _____ For Office use.

Size _____ inches, Meter No. _____ Manufactured by _____

(The following to be filled in by the Plumber).

1. Diameter of pipes _____
2. No. and Size of bib taps with description:- Cold _____
Hot _____
3. No. of Flushing Cisterns with size and connections.....
4. No. of Water Closets stating patterns
5. Size and capacity of storage cistern.....
6. Hot Water fittings with details
7. Date of completion of work by the Plumbers

Certified that no deviations in the work as sanctioned by the Secretary have been made.

Signature of Plumber

Annexure - II**CHECKLIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED BY THE CONSUMER FOR
OBTAINING REGULAR WATER CONNECTION.****CATEGORY -I PRIVATE HOUSES WITHIN THE SECTORS**

1. Application on Prescribed Form duly filled in triplicate.
2. Copy for proof of ownership (self attested).
3. Copy of Registered GPA (In case of GPA Holder)
4. Copy of Occupation Certificate from Estate Office (Self attested)
5. NOC regarding final payment against temporary water connection from SDO-In-charge.

CATEGORY-II GOVERNMENT HOUSES

1. Application on Prescribed Form duly filled in triplicate by the allottee.
2. Copy of Allotment letter of House (self attested).
3. Copy of Possession letter of House (self attested)

CATEGORY-III HOUSING BOARD/ DWELLING UNITS

1. Application on Prescribed Form duly filled in triplicate.
2. Copy of Allotment letter (self attested)
3. Copy of Possession letter (self attested)
4. Copy of Attorney in case of GPA (Attested by Notary Public/ Magistrate)

CATEGORY -IV SOCIETY FLATS

1. Application on Prescribed Form duly filled in triplicate (signed & stamped by the President/ Secretary/ Administrator of Society).
2. Copy of Allotment letter (self attested)
3. Copy of Possession letter (self attested)
4. Copy of Occupation/ Completion Certificate from the Building Officer (Self attested)
5. No Due Certificate regarding Water Charges during construction.
6. Certificate from licensed Plumber on application form.

CATEGORY-V REHABILITATION COLONIES

1. Application on Prescribed Form duly filled in triplicate the name of allottee.
2. Copy of allotment letter (self attested)
3. Copy of Possession letter (self attested)
4. Receipt of payment of Road Cut restoration charges, if involved.
5. Certificate from licensed Plumber on Application Form.
6. Power of Attorney in case of GPA (Attested by Notary Public/ Magistrate).

Note:- All connections for such rehabilitation colonies shall be metered.

CATEGORY-VI COMMERCIAL /INDUSTRIAL AND OTHER SITES

1. Application Form duly filled in triplicate (on prescribed form).
2. Copy of Ownership proof (self attested).
3. Copy of Occupation Certificate from Building Officer (self attested)
4. NOC regarding final payment against temporary water connection from SDO-In-charge.

CATEGORY-VII GOVT. PREMISES/OFFICES/INSTITUTIONAL SITES

1. Application on Prescribed Form duly filled in triplicate by the HOD or any person authorized on his behalf.
2. Copy of Allotment letter of Premises (self attested).
3. Copy of Possession letter of Premises (self attested)
4. Receipt of payment of road cut restoration charges, if involved.
5. Copy of Occupation/ Completion Certificate from the Building Officer (Self attested)
6. No Due Certificate regarding Water Charges during construction.

CATEGORY-VIII SECOND CONNECTION

1. Application on Prescribed Form duly filled in triplicate.
2. Copy of Ownership Proof (self attested).
3. Copy of Registered GPA (In case of GPA Holder)
4. Certificate from Licensed Plumber for separate plumbing system on application form
5. Receipt of Payment of Road Cut restoration charges, if involved.
6. If house on share percentage basis then an affidavit duly attested by Magistrate is required for Floor Clarification.
7. Copy of the last Water Bill paid.

**CHECKLIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED BY THE CONSUMER FOR
OBTAINING TEMPORARY WATER CONNECTION**

**I-RESIDENTIAL/COMMERCIAL/INDUSTRIAL SITES & COLLEGES/
INSTITUTIONAL & OTHER SITES**

1. Application on Prescribed Form duly filled in triplicate.
2. Copy of allotment letter of House/ Plot (Self attested)
3. Copy of Possession letter House/ Plot (Self attested)
4. Copy of Demarcation Certificate issued by SDO-Survey (Self attested).
5. Plinth level certificate issued by B.O., PBMC.
6. Certificate from Licensed Plumber on application form.
7. Receipt of Payment of Road Cut restoration charges, if involved.
8. Copy of sanctioned building plan showing covered area (Self attested).
9. Copy of sanctioned building plan letter (Self attested).

**II-TEMPORARY WATER CONNECTION FOR SHORT PERIOD FOR MISC. PURPOSE
(LIKE FAIR, CIRCUS OR ANY OTHER ACTIVITY)**

1. Application on Prescribed Form duly filled in triplicate.
2. Copy of permission of use of area & purpose (Self attested).
3. Plumbing work is to be done by the consumer.

**III- CONNECTION TO CONTRACTORS FOR CONSTRUCTION OF GOVT. BUILDING &
OTHER MAJOR BUILDINGS**

1. Application on Prescribed Form duly filled in triplicate.
2. Copy of allotment letter (Self attested)
3. Receipt of Payment of Road Cut restoration charges, if involved.
4. Certificate from the concerned department regarding deduction of water charges @ 1.5 % or calculated by Rs.8/- per Sq. ft. of total covered area.